



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

निविदा आमंत्रण सूचना

आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, 'कार्यालय भवन, में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य' के लिए ई-निविदा मोड द्वारा दो-भाग की निविदा आमंत्रित करता है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>)। सभी इच्छुक फर्मों (आरबीआई, कोच्ची में संबंधित श्रेणी के कार्यों के तहत नामित), को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा की कार्यक्रम इस प्रकार है:

ए	ई-निविदा सं.	आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/17/25-26/ईटी/879
बी	कार्य का नाम	कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।
सी	अनुमानित लागत	₹8,13,000/- (जीएसटी का सहित)
डी	निविदा का तरीका	एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-I) और मूल्य बोली (भाग-II); (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ई	दिनांक और समय जिससे एनआईटी और निविदा उपलब्ध /डाउनलोड की जा सकती है।	20 जनवरी 2026, 15:00 बजे के बाद।
एफ	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आवश्यकता नहीं है।
जी	बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन) की तिथि, समय और स्थान	22 जनवरी, 2026, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में 15:00 बजे
एच	वेबसाइट पर मूल्य बोली के लिए बोली प्रारंभ तिथि; http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi	23 जनवरी 2026, 15:00 बजे
आई	मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि	28 जनवरी 2026 को 14:00 बजे
के	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	28 जनवरी 2026 को 15:00 बजे
एल	लेनदेन शुल्क	मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राशि
एम	कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय	बैंक से कार्य आदेश/सूचना की तारीख से 30 दिन

निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना केवल उपर्युक्त अनुसार आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी और इसकी सूचना अलग से ईमेल के माध्यम से नहीं दी जाएगी।

नोट: यह सूचना केवल सूचना के लिए प्रकाशित की जा रही है और यह इस सीमित निविदा में भाग लेने के लिए खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और नामित ठेकेदारों तक ही सीमित है। बिना आमंत्रण के प्राप्त प्रस्तावों को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसी निविदाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(प्रमोद कुमार)
महाप्रबंधक (ओ-आई-सी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
20 जनवरी, 2026



भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
कोच्ची Kochi

(केवल ई- निविदा)

निविदा दस्तावेज़

(इसे केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ही जमा किया जाना है।)

आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/17/25-26/ईटी/879
-----------------	---

भाग-I

(तकनीकी और वाणिज्यिक बोली)

निविदा देने वाले का

नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

संपर्क नंबर।:

ई-निविदा जमा करने की तारीख और समय:

28 जनवरी, 2026, दोपहर 14:00 बजे।

ई-निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख:

28 जनवरी, 2026, 15:00 बजे।

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) की प्रॉपर्टी है। आरबीआई की लिखित परमिशन के बिना इसे किसी भी मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक या किसी और तरह से कॉपी, वितरण या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय उस मकसद के लिए आरबीआई को जवाब देने के। इस दस्तावेज़ के सामग्री का इस्तेमाल, यहां तक कि अधिकृत लोगों/एजेंसियों द्वारा भी, यहां बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए करना मना है, और यह कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, भारतीय कानून के तहत सज़ा होगी।



Reserve Bank of India भारतीय रिज़र्व बैंक

www.rbi.org.in

आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य के लिए ई-निविदा मोड से दो-भाग का निविदा मंगा रहा है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के ज़रिए की जाएगी। सभी इच्छुक फर्म (आरबीआई, कोच्ची में कामों की संबंधित वर्ग के तहत नामित), निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। ई-निविदा का अनुसूची इस तरह है।

ए	ई-निविदा संख्या	आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/17/25-26/ ईटी/879
बी	कार्य का नाम	आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।
सी	अनुमानित लागत	₹ 8,00,000/- (जीएसटी सहित)
डी	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग- I) और मूल्य बोली (भाग-II)) एमएसटीसी पोर्टल के ज़रिए; (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ई	वह तारीख और समय जब से NIT और निविदा देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं।	20 जनवरी, 2026, 15:00 बजे के बाद।
एफ	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आवश्यक नहीं।
जी	प्री-बोली बैठक की तारीख, समय और स्थान (ऑफ़लाइन)	22 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे , कार्यालय बिल्डिंग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में।
एच	वेबसाइट पर मूल्य बोली के लिए बोली शुरू होने की तारीख; http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi	23 जनवरी, 2026, दोपहर 3.00 बजे
एल	मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	28 जनवरी, 2026, दोपहर 14:00 बजे।
के	मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय	28 जनवरी, 2026, दोपहर 3:00 बजे

एल	लेनदेन शुल्क	मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा बताई गई रकम।
एम	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से कार्य आदेश / सूचना की तारीख से 30 दिन

भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर जारी किया जाता है, तो उसकी जानकारी सिर्फ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर दी जाएगी, जैसा कि ऊपर दिया गया है और ईमेल से अलग से नहीं दी जाएगी।

नोट : यह नोटिस सिर्फ जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह इस सीमित निविदा में उद्धरण देने के लिए खुला आमंत्रण नहीं है। इस निविदा में हिस्सा सिर्फ आमंत्रण से लिया जा सकता है और यह सिर्फ नामित ठेकेदार तक ही सीमित है। बिना मांगे मिलने वाले प्रस्ताव को अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसे निविदा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के मुताबिक आरबीआई में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(प्रमोद कुमार)
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
20 जनवरी 2026

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई), संपदा विभाग, कोच्ची ने यह दस्तावेज़ उन लोगों को काम की बैकग्राउंड जानकारी देने के लिए तैयार किया है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि आरबीआई ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो आरबीआई, न ही उसकी कोई प्राधिकारी या उनके कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के पूरा होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई अभ्यावेदन देते हैं, चाहे वह साफ़ तौर पर हो या छिपा हुआ।

यह जानकारी पूरी नहीं है। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें खुद पूछताछ करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखकर पुष्टि करना होगा कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा जमा करते समय सिर्फ़ आरबीआई की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह आरबीआई या उसकी किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए ज़रूरी नहीं है।

आरबीआई के पास यह अधिकार है कि वह काम को आगे न बढ़ाए या काम का विन्यास न बदले, इस दस्तावेज़ में दिखाए गए समय को न बदले या लागू होने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया को न बदले। आरबीआई के पास यह भी अधिकार है कि वह इस मामले में दिलचस्पी दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ आगे चर्चा करने से मना कर दे।

दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों या संस्थाओं को किसी भी तरह के खर्च का कोई प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर बताया जाएगा और अखबार में नहीं छपा जाएगा।

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियम और शर्तों को पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। केवल पंजीकरण के बाद ही विक्रेता (विक्रेता) अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के साथ-साथ इंटरनिवल पर मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनिवल से जुड़े पी.सी. से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से ऑन-लाइन जमा की जानी चाहिए।

- 1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com => e-Procurement => PSU/ Govt. depts. => Select RBI Logo => Register as Vendor => Filling up details (विवरण भरना और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाना) => Submit के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
- 2) विक्रेताओं को उनके ई-मेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक प्रणाली जनित मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, विक्रेता ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. **मुख्यालय केंद्रीय सहायता डेस्क: (विक्रेताओं के लिए), helpdeskho@mstcindia.in, फ़ोन: 07969066600 ईमेल भेजते समय कृपया विषय में "HO Helpdesk" लिखें। उपलब्धता: सभी कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि जैसी सभी तकनीकी समस्याओं के लिए।**

2. संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

आरबीआई, कोच्चि के ऑफिस बिल्डिंग में बैकसाइड पैसेज कॉरिडोर के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं और अपने क्षेत्रीय कार्यालय को तदनुसार सूचित करें।

आरबीआई (आरओ/टीई) में संपर्क व्यक्ति

श्री. ऋषु वी सिंह (एएम-टेक) 9867720817 (rishuvsingh@rbi.org.in)

श्री. नितिन नाग पुत्रेशेट्टी (प्रबंधक) 959736431 9 (nithinnag@rbi.org.in)

श्रीमती विनीता वी (एएम) 974720776 (vineetha@rbi.org.in)

गोपिका एसवी (जेई) 8281164791 (svgopika@rbi.org.in)

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनिवल पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनिवल से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्शन 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

3. www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं

4. विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ई-मेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला प्रणाली जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, विक्रेता ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. प्रधान कार्यालय सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए), helpdeskho@mstcindia.in, फ़ोन:

07969066600

कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें) उपलब्धता - सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, प्रणाली सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

2. संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं और अपने क्षेत्रीय कार्यालय को तदनुसार अपडेट करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, कोच्ची):

1. श्री. रिशु वी. सिंह (एम-टेक.) 9867720817 (rishuvsingh@rbi.org.in)
2. श्रीमती नितिन नाग पुत्रशेट्टी (Mgr.) 9597364319 (nithinnag@rbi.org.in)
3. श्रीमती विनीता वी (एम) 9747207776 (vvineetha@rbi.org.in)
4. श्री. अखिलेशकांत एसएस (जेई (इलेक्ट्रिक)) -8281258592 (akhileshkanthss@rbi.org.in)

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड प्रणाली सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है जो <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर उपलब्ध है।

लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा पर "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके/"ईवेंट कैटलॉग " में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनदर करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/निवल बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा नहीं भर सकते हैं।

टिप्पणी:

- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी ई-मेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
- एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

ई-निविदा में बोली:

विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल

दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा में दस्तावेज़ संलग्न करें, लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उसे आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।

ए) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।

बी) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें → दस्तावेज़ संलग्न करें → मूल्य बोली पर इंटरनिवल के माध्यम से अपनी टेक्नो कमर्शियल बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज़ और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

सी) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर विक्रेता को टेक्नो-कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, प्राइस बिड लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी प्राइस बिड दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो-कमर्शियल बोली और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाती है, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएँ" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और बोली को फिर से प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएँ पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से प्रस्तुत करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

डी) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ई) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

एफ़) ई-निविदा फ़्लोर पूर्व घोषित तारीख व समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

जी) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

एच) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आई) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

जे) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

के) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ़्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ़्लोर/निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

विषयसूची

क्र.	मद	पृ. सं.
1	भाग-I- खंड-I- निविदा का प्रारूप	9
2	भाग-I- खंड-II- निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें	11
3	भाग-I- धारा-III- सुरक्षा कोड	21
4	भाग-I- धारा-IV- इसके बाद संदर्भित शर्तें	23
5	भाग-I- खंड-V- परिशिष्ट जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है	40
6	भाग-I- खंड-VI- तकनीकी विनिर्देश और कार्य अनुसूची	41
7	भाग-I- खंड-VII- तकनीकी चित्र	45
8	भाग-I- खंड-VIII- स्वीकृत ब्रांडों की सूची	45
9	भाग-I- खंड-IX- वाणिज्यिक शर्तों की चेकसूची	46
10	भाग-II- बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल	47
11	अनुलग्नक-1- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए मुख्तारनामा का प्रारूप	51
12	अनुलग्नक-2- ठेकेदार द्वारा साइट विजिट के लिए वचन पत्र का पपत्र	52
13	अनुलग्नक-3- बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का पपत्र	53
15	अनुलग्नक-4- करार की शर्तें	56
16	अनुलग्नक -5- एनईएफ़टी/ आरटीजीएस/ ईसीएस के ज़रिए भुगतान के लिए इनपुट देने का पपत्र- अधिदेश प्राधिकरण प्रपत्र	64
17	अनुलग्नक-6- संविदाश्रम नियमों / विनियमों का पालन न करने पर नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए पपत्र	67
18	अनुलग्नक-7- पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए पपत्र	68

खंड-1 - निविदा का प्रारूप

स्थान:

तारीख:

श्री प्रमोद कुमार
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

प्रिय महोदय,

हमने नीचे दिए गए ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिज़ाइनों और मात्राओं की अनुसूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और निरीक्षण किया है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा संविदाके अनुच्छेदों, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों, डिज़ाइनों और लिखित निर्देशों के अनुसार, तथा पूर्वोक्त विनिर्देशों, कार्य अनुसूची, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची के अनुसार, तथा उक्त शर्तों के अनुसार, जहाँ तक वे लागू हों, सभी मामलों में निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्य का नाम	कोच्ची स्थित आरबीआई कार्यालय भवन के पिछले हिस्से के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।
(बी)	अनुमानित लागत	₹ 8,00,000/- (जीएसटी सहित)
(सी)	भुगतान का तरीका	निविदा के भाग-1 के खंड-II-पैरा-21.0 के अनुसार।
(डी)	बयाना राशि जमा	आवश्यक नहीं।
(ई)	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से कार्य आदेश / सूचना की तारीख से 30 दिन

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा निविदा, निविदा के भाग-1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा मंजूरी के लिए वेध रहेगा और इस वेधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित में आपसी सहमति से तय किए गए समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त कर लेंगे और आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान कर देंगे।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। अगर हम संविदा पूरा करने में नाकाम रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि जमा की गई EMD हमारी तरफ से भारतीय रिज़र्व बैंक को ज़ब्त कर ली जाएगी।

5. निविदा दो हिस्सों में जमा किया जाता है। भाग-I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण हैं, और भाग-II में सिर्फ बैंक के पत्र में मूल्य बोली है।

दिनांक ___ दिन _____, 2026

की ओर से और उनके लिए
मेसर्स _____

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

तारीख:

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए।)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर के साथ
नाम, पता और तारीख

(2) हस्ताक्षर
नाम, पता और तारीख

खंड-1।- निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य करने के लिए, निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार पात्र बोलीदाताओं से कार्य आमंत्रित किए जाते हैं। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 8,00,000/- (जीएसटी सहित) है। कार्य बैंक से कार्य आदेश/सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। सभी पूर्व-योग्यता संबंधी दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

1.0 निविदा देने वालों के लिए निर्देश

1.1 निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज़ में दिए गए संविदा की सामान्य निर्देश और तकनीकी विनिर्देश के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें, और कोई भी बदलाव न करें। अगर निविदा दस्तावेज़ में दिए गए नियम और शर्तों को मानने से कीमत पर कोई असर पड़ता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसे बताई गई कीमत में शामिल किया जाना चाहिए। नियम और शर्तों से अलग निविदा बैंक अपनी मर्ज़ी से अस्वीकार कर सकता है। निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा डालने से पहले अधिष्ठापन की साइट पर जाएं और साइट से खुद को परिचित कर लें। जांच के बाद, अगर किसी बोलीर में ज़रूरी पात्रता नहीं पाई जाती है, तो उनके निविदा को बैंक आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं करेगा।

1.2 निविदाकर्ताओं को डिजाइन या सिस्टम के किसी भी भाग के संबंध में उनके द्वारा धारित या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

1.3 निविदा में संशोधन के रूप में स्पष्टीकरण अपलोड किए जाएंगे। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निविदा जमा करने से पहले संशोधन (यदि कोई हो) अवश्य देख लें।

1.4 भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो उसे सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है।

2.0 निविदा प्रस्तुत करना

2.1 निविदा एमएसटीसी साइट पर दो हिस्सों में अलग-अलग ऑनलाइन जमा किया जाएगा, यानी भाग-I और भाग-II, "भाग-I – तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग-II – मूल्य बोली"। निविदा देने वाले निविदा दस्तावेज़ के भाग-I के सभी पेजों पर सील और तारीख के साथ हस्ताक्षर करेंगे, ज़रूरी पेजों में विवरण भरेंगे, और फिर स्कैन करके ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

(**28 जनवरी, 2026 को 14:00 बजे से पहले**) के बाद कोई भी **निविदा** स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में।

2.3. बैंक से जमा किए गए **निविदा** के मंज़ूर होने की जानकारी मिलने पर, सफल **निविदा** देने वाला **संविदा** को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर ऐसा करेगा। सफल **निविदा** देने वाला **करार के करार के शर्तें (परिशिष्ट-4)** और शर्तों के **अनुसूची** के अनुसार एक **करार** पर **हस्ताक्षर** करेगा, लेकिन बैंक

द्वारा निविदा की लिखित मंजूरी, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग संविदा बन जाएगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में किया जाए या नहीं।

3.0 भाग-I – तकनीकी और वाणिज्यिक बोली

3.1 प्रस्तुत किए गए निविदा के भाग-I में ये चीज़ें होंगी:

(i) निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की सील के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकरण।

(ii) वाणिज्यिक/तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।

(iii) निविदा देने वालों को उनके पास मौजूद या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी तीसरे पक्ष के पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिज़ाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट की पूरी जानकारी देनी होगी, जो डिज़ाइन या सिस्टम के किसी हिस्से के बारे में हो।

(iv) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदा देने वाला देना चाहे।

(v) प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

(vi) सिस्टम के अधिष्ठापन, कमीशनिंग और टेस्टिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले कामों/सुविधाओं वगैरह की सूची।

4.0 भाग-II – मूल्य बोली

4.1 निविदा के भाग-II में कीमतें सिर्फ भारतीय रुपये में होंगी, जिसमें 'अनप्राइस्ड बिल ऑफ़ मात्रा' में बताए गए पत्र के हिसाब से कीमतों का ब्रेकअप होगा। जिस निविदा में कीमतें किसी दूसरी मुद्रा में बताई गई हैं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.2 बिल ऑफ़ मात्रा सिर्फ़ एमएसटीसी वेबसाइट पर ही भरा जाएगा।

4.3 यह संविदा न तो निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही पीस कार्य संविदा है, बल्कि यह काम करने का संविदा है, जिसका भुगतान असल में मापी गई मात्रा के हिसाब से दर के अनुसूची (भाग-II) में दिए गए दर/मात्राओं पर किया जाएगा। अगर शब्दों और आंकड़ों में बताए गए दर/रकम में अंतर होता है, तो जो भी दर/रकम कम होगा, उसे माना जाएगा। बताए गए दर पूरे काम के लिए माने जाएंगे और सिस्टम बैंक को सौंपे जाने तक बिना किसी बढ़ोतरी के पक्के और मानने लायक होंगे।

4.4 निविदा का भाग-II खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं मानी जाएगी।

5.0 निविदा खोलना

निविदा की मूल्य बोली 28 जनवरी, 2026 को 15:00 बजे खोली जाएगी। ऑनलाइन मोड से।

5.2 निविदा प्रक्रिया करने और निविदा की मूल्य बोली खोलने से पहले बैंक अपलोड किए गए दस्तावेज़ को मूल्यांकन करेगा। अगर किसी भी समय किसी बोलीर के पास निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके क्लाइंट्स और/या उसके बैंकर्स से मिली उसकी निष्पादन रिपोर्ट ठीक नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा का भाग-I खोलने के बाद भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए मजबूर नहीं है। जो लोग पात्रता मानदंड और तकनीकी पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, वे ही भाग-II (मूल्य बोली) खोलने के लिए पात्र होंगे।

5.3 उन निविदार्स की मूल्य बोली (भाग-II) जो निविदा के भाग-I की जांच के बाद योग्य पाए जाएंगे, उन्हें अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा, जिसकी जानकारी सभी योग्य निविदार्स को पहले से दे दी जाएगी।

5.4 बैंक सबसे कम कीमत वाला निविदा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं है और किसी भी निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदा को अस्वीकार करने का भी अधिकार रखता है।

6.0 कार्य का दायरा

6.1 बताए गए काम '**आरबीआई, कोच्ची में कार्यालय बिल्डिंग में बैकसाइड पैसेज कॉरिडोर के रेनोवेशन से जुड़े विद्युत काम**' से जुड़े हैं, जो बैंक की कार्यालय बिल्डिंग, कोच्ची में ग्राउंड, पहली, दूसरी और तीसरी मंज़िल के बैकसाइड पैसेज कॉरिडोर एरिया में किए जाने हैं। यह काम सभी ज़रूरी तकनीकी विनिर्देश, मौजूदा स्टैंडर्ड्स, बताई गई स्थान के लिए लेआउट ड्राइंग्स वगैरह को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिनकी विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के बाद के विभाग में मिल सकती हैं।

6.2 निविदा देने वाला विनिर्देश को ध्यान से चेक करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि दिया गया सामग्री साथ में दिए गए तकनीकी विनिर्देश के हिसाब से सही है और दिए गए सामग्री के अच्छे से चलने की पूरी ज़िम्मेदारी लेगा। निविदाकर्ता को कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण, मशीनें, श्रम और उपभोग्य वस्तुएं आदि उपलब्ध करानी होंगी।

6.3 काम से जुड़े सभी कानूनी अनुमोदन, अगर कोई हों, लेने और काबिल प्राधिकारी से संपर्क करने की ज़िम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार को सरकार और/या किसी दूसरी प्राधिकारी से ली गई ज़रूरी निरीक्षण शुल्क, अगर कोई हो, लेनी होगी और देनी होगी और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी परमिट लेना होगा और प्राधिकारी के विनियमन के हिसाब से ज़रूरी जांच भी करने होंगे, इसके लिए नियुक्ता को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। काबिल प्राधिकारी से जारी मूल रसीद जमा करने पर बैंक निरीक्षण शुल्क वापस कर देगा।

6.4 सभी सामग्री में अनुमोदित सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, जहाँ भी लोगों को खतरा हो सकता है, और संचालन और रखरखाव के कामों के लिए सामग्री तक और उसके आस-पास लोगों के सुरक्षित आने-जाने का इंतज़ाम होना चाहिए। चूहों, छिपकलियों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों के अंदर न आने का खास ध्यान रखा जाएगा, जिनसे लाइव सामग्री के अंदर विद्युत शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

6.5 बिजली के काम का हर आइटम तभी हर तरह से पूरा माना जाएगा, जब स्थानीय बिजली आपूर्ति प्राधिकारी से परमानेंट सर्विस कनेक्शन लिया जाएगा, बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरे अधिष्ठापन को एनर्जाइज़, टेस्टिंग और अंतिमकमीशनिंग की जाएगी। बिजली के काम के हर आइटम का भुगतान, माप के हिसाब से और

पूरे हुए काम की मात्रा के हिसाब से किया जाएगा। पूरे हुए काम के हिस्से को लेकर किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक के इंजीनियर का फैसला आखिरी होगा और ठेकेदार को मानना होगा।

6.6 सफल निविदा देने वाला निविदा के आमंत्रण के क्लॉज़, विनिर्देश, काम का अनुसूची और ड्रॉइंग को ध्यान से देखेगा और अपने दर में वह रकम शामिल करेगा जो उसे उनमें दिए गए अलग-अलग क्लॉज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी लगे। काम के आइटम के सामने काम के अनुसूची में बताई गई यूनिट कीमतों में संविदा के हिसाब से काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी अधिष्ठापन, एक्सेसरीज़ और कंज्यूमेबल्स शामिल होंगे। यूनिट कीमतों के अलावा, अचानक होने वाले काम और सामग्री के लिए कोई अतिरिक्त रकम नहीं दी जाएगी।

6.7 काम के अनुसूची में बताई गई मात्राएँ संभावित मात्राएँ हैं और यह साफ़ तौर पर समझना चाहिए कि संविदा एकमुश्त संविदा नहीं है, संभावित मात्राएँ, पूरे निविदा की कीमत सिर्फ़ अंदाज़ा है, और नियुक्ता किसी भी तरह से निविदा देने वाले को यह भरोसा या गारंटी नहीं देता है कि काम की असली मात्रा निविदा में बताई गई संभावित मात्राओं के बराबर होगी।

6.8 मात्रा में किसी भी बदलाव पर यूनिट दर में कोई बदलाव मंज़ूर नहीं होगा।

6.9 ठेकेदार अपने खर्च पर काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, जो मात्रा और विनिर्देश के अनुसूची के इरादे और मतलब के हिसाब से होंगी, चाहे वे उसमें खास तौर पर दिखाए या बताए गए हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर ठेकेदार को मात्रा और विनिर्देश के अनुसूची में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा, जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।

7.0 चित्र और दस्तावेज़

7.1 सफल निविदा देने वाला, बैंक से निविदा स्वीकार होने पर, ज़रूरी सभी काम की पूरी जानकारी दिखाते हुए, दो कॉपी में डिटेल्ड वर्किंग ड्रॉइंग और विनिर्देश जमा करेगा। उसके जमा किए गए ड्रॉइंग या जानकारी में किसी भी कमी, गलती या चूक के लिए वह ज़िम्मेदार होगा, भले ही बैंक ने इन्हें मंज़ूरी दे दी हो। बैंक ड्रॉइंग की जांच करेगा।

8.0 पैकिंग और डिस्पैच

8.1 उपकरणों को निर्यात के लिए उपयुक्त बक्सों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा (जहाँ लागू हो) और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समुद्र/हवा/रेल/सड़क मार्ग से कई बार परिवहन और ढुलाई के लिए उपयुक्त होगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के कर्मचारी क्वार्टर, कोच्ची में ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) आधार पर वितरित किए जाएंगे।

9.0 कर और शुल्क

9.1 उपकरण की आपूर्ति के लिए उद्धृत कीमतों में सभी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, चुंगी, स्थानीय शुल्क, केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य कर/शुल्क, श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क, पारगमन, शिपमेंट, पैकिंग, कारखाने से गंतव्य स्थल तक भाड़ा, हैंडलिंग, क्लीयरेंस, स्थापना और कमीशनिंग शुल्क,

भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी के लिए बीमा शुल्क, कामगार मुआवजा और तृतीय पक्ष देयता आदि शामिल माने जाएंगे, जब तक कि सिस्टम अंततः बैंक को सौंप नहीं दिया जाता। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर और अन्य वैधानिक शुल्क स्रोत पर काटे जाएंगे और ठेकेदार को इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

10.0 निविदा की वैधता

10.1 निविदा, कीमतों के साथ, निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से शुरू में 90 दिनों के लिए वैध रहेगा, इस समय को निविदा देने वाले आपसी लिखित सहमति से आगे बढ़ा सकते हैं और निविदा देने वाला इस समय के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

11.0 भाषा

11.1 निविदा, जिसमें रेखाचित्रों, दस्तावेजों, कैटलॉग आदि में सभी लेबल शामिल हैं, अंग्रेजी में होनी चाहिए।

12.0 बयाना राशि जमा और प्रतिधारण राशि

12.1 निविदा देने वालों को कोई बयाना जमा (ईएमडी) नहीं देना होगा।

12.2 काम पूरा होने के बाद, **काम की पूंजीगत लागत के 5%** के बराबर प्रतिधारण धन **सुरक्षा जमा के तौर पर रोक ली जाएगी और इसे 1 साल के DLP अवधि के बाद मुक्त किया जा सकता है।** बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ठेकेदार द्वारा बैंक को दिए जाने वाले सभी मुआवज़े या दूसरी रकम में से, निविदा में बताई गई DLP की शर्तों का ठीक से पालन न करने पर, तय समय (एक साल की DLP) के दौरान किसी भी समय कटौती कर ले।

12.3 इस निविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को दिए जाने वाले सभी मुआवज़े या दूसरी रकम को, अगर रकम इजाज़त देती है, तो प्रतिधारण धनसे काटा जा सकता है, और ठेकेदार, जब तक कि कोई जमा किसी और तरह से देने लायक न हो जाए, ऐसी कटौती के दस दिनों के अंदर, काटी गई रकम नकद में चुकाएगा।

13.0 सबसे कम कीमत का निविदा ज़रूरी नहीं कि स्वीकार किया जाए

13.1 बैंक सबसे कम/किसी भी निविदा को स्वीकार करने या न स्वीकार करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

13.2 जिस निविदार का निविदा स्वीकार नहीं किया जाता है, वह निविदा जमा करने के दौरान या उससे जुड़े किसी भी खर्च, चार्ज, नुकसान और आकस्मिक खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को बदलने / वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

14.0 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

14.1 बैंक निविदा देने वाले के बताए गए दामों पर निविदा को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार

रखता है।

15.0 संविदा करार पर हस्ताक्षर

15.1 निविदा देने वालों के लिए आम निर्देश और खास शर्तें, पहले बताई गई शर्तें, संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश, निविदा दस्तावेज़ के साथ दिए गए काम का अनुसूची और बैंक और निविदा देने वाले के बीच बाद में हुई बातचीत, सफल निविदा देने वाले के साथ किए जाने वाले क्रय आदेश/ अंतिम संविदा का आधार होगी।

15.2 निविदा देने वाले को संविदा की आम शर्तों में दिए गए नियम और शर्तें पूरी तरह से पढ़नी होंगी और उनका प्रस्ताव पूरी तरह से उनमें बताई गई शर्तों के हिसाब से होगा। बताई गई शर्तों से कोई भी बदलाव मंजूर नहीं होगा। निविदा दस्तावेज़ के हर प्रष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे ताकि उन्हें संविदा की आम शर्तों, तकनीकी विनिर्देश वगैरह की जानकारी हो।

15.3 किसी फर्म की तरफ से जमा किए गए निविदा पर फर्म के सभी भागनर या ऐसे भागनर के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में शामिल होने के लिए फर्म की तरफ से ज़रूरी अधिकार हो। नहीं तो, निविदा अस्वीकार किया जा सकता है।

15.4 बैंक से जमा किए गए निविदा की मंजूरी मिलने पर, सफल निविदा देने वाला संविदा लागू करने के लिए मजबूर होगा और उसके चौदह दिनों के अंदर, सफल निविदा देने वाला मसोदा करार के शर्तें (Annexure-4) के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। **करार लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार ज़रूरी कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और इसका खर्च पूरी तरह से निविदा देने वाला उठाएगा।** करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित मंजूरी, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाइंडिंग संविदा होगा, चाहे ऐसा करार बाद में किया जाए या नहीं।

15.5 ठेकेदार संविदा किसी और को नहीं देगा। वह नियुक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, नियुक्ता ठेकेदार को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी जमा नियुक्ता का ज़ब्त हो जाएगा, और ठेकेदार के खिलाफ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

16.0 आयात और निर्यात लाइसेंस

16.1 अगर ज़रूरी हुआ तो इम्पोर्ट लाइसेंस निविदा लेने वाले को लेना होगा। इम्पोर्ट लाइसेंस लेने के लिए, संबंधित अधिकारियों को जमा करने/पे करने वाले सभी ज़रूरी दस्तावेज़/शुल्क की पूरी ज़िम्मेदारी निविदा लेने वाले की होगी।

16.2 निविदा करने वाले को भारत में मशीनें इंपोर्ट करने के लिए काबिल अधिकारियों से ज़रूरी निर्यात लाइसेंस लेना होगा और उसे बनाए रखना होगा और उससे जुड़े सभी खर्च और शुल्क का भुगतान करना होगा। निर्यात लाइसेंस न मिलने और उसे बनाए न रखने को फ़ोर्स मेज्योर नहीं माना जाएगा। अगर निविदा करने वाला लाइसेंस लेने या बनाए रखने में फेल हो जाता है, या अगर लाइसेंस वापस ले लिए जाते हैं, तो निविदा करने वाला ऐसे कैंसलेशन/वापस लेने की तारीख से दो महीने के अंदर उन्हें वापस ले लेगा। अगर निविदा करने वाला निर्यात लाइसेंस वापस नहीं ले पाता है, तो बैंक के पास संविदा को पूरा या कुछ हिस्सा कैंसल करने का अधिकार होगा

और निविदा करने वाला तुरंत बैंक को कैंसल की गई आपूर्ति और सर्विस के लिए बैंक द्वारा निविदा करने वाले को दिए गए सभी राशि, साथ ही बैंक को हुए सभी नुकसान वापस कर देगा। इस बारे में बैंक का फैसला आखिरी और ज़रूरी होगा।

17.0 मैनुफैक्चरर के काम की स्थान / साइट पर सामाग्री / काम का निरीक्षण

17.1 अगर ऊपर बताए गए मकसद के लिए काम किया जा रहा है, तो संविदा पूरा होने के दौरान बैंक के इंजीनियर को ठेकेदार के काम या साइट पर किसी भी समय पूरी और फ्री एक्सेस होगी, और वह ठेकेदार से कह सकता है कि वह काम या उसके किसी हिस्से या किसी सामाग्री के निरीक्षण का इंतज़ाम अपनी स्थान पर या बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई किसी दूसरी स्थान पर करे और अगर ठेकेदार को किसी सब-ठेकेदार की सर्विस लेने की इजाज़त दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के पास भी ऐसा ही अधिकार होगा।

17.2 लेकिन, ऊपर बताई गई बात किसी भी तरह से ठेकेदार को तय स्थान पर सिस्टम/कंपोनेंट्स को लगाने और चालू करने के बाद उनके सही काम करने की ज़िम्मेदारी से नहीं बचाएगी।

17.3 निरीक्षण का खर्च: ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, सभी सामान, औजार, मेहनत और हर तरह की मदद देगा, जिसकी मांग बैंक का इंजीनियर किसी भी जांच / निरीक्षण और जांच के लिए करेगा, और उस पर आने वाले सभी खर्च खुद उठाएगा और देगा।

17.4 टेस्टिंग का तरीका: बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह सभी सामाग्री और सामाग्री, जो उसका हिस्सा हैं या उसका कोई हिस्सा हैं, को ऐसे जांच से गुज़ार सके, जैसा वह ठीक और उचित समझे। ठेकेदार को इंस्पेक्टर के टेस्टिंग के तरीके पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

17.5 इंस्पेक्टर को निष्पादन प्रमाणित करने का अधिकार: बैंक के इंजीनियर के पास यह अधिकार होगा-

ए) किसी भी सामाग्री या उसके किसी हिस्से को निरीक्षण के लिए जमा करने से पहले यह प्रमाणित किया जाता है कि वे या उनका कोई हिस्सा संविदा के हिसाब से नहीं है, क्योंकि बनाने का कोई खराब तरीका अपनाया गया है।

बी) किसी भी सामाग्री या पार्ट्स को, जो विनिर्देश के हिसाब से नहीं है, अस्वीकार करना।

सी) निरीक्षण के लिए दिए गए पूरे सामाग्री को अस्वीकार कर देना, अगर उसके किसी हिस्से के निरीक्षण के बाद, जैसा वह अपनी समझ से ठीक समझे, उसे लगता है कि वह ठीक नहीं है; और

डी) अस्वीकार किए गए सामाग्री या पार्ट्स पर रिजेक्शन मार्क लगाना ताकि दोबारा प्रस्तुत करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

17.6 रिजेक्शन का नतीजा: अगर सामाग्री या सामाग्री या उसके किसी हिस्से को बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, और ठेकेदार तय डिलीवरी/पूरा होने के समय के अंदर ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है या किए गए खराब काम को ठीक नहीं कर पाता है, तो बैंक को यह करने की आज्ञा दी होगी:

i) ठेकेदार को अस्वीकार किए गए सामाग्री या पार्ट्स के बदले में, तय समय के अंदर दोबारा जमा करने की

इजाज़त देना, और ऐसे रिप्लेसमेंट पर अगर कोई फ्रेट का खर्चा है, तो ठेकेदार को वहन करना होगा, और उस वजह से उसे कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलेगा; या

ii) अस्वीकार किए गए सामाग्री या पार्ट्स या उसी तरह के दूसरे सामाग्री या पार्ट्स (जब सामाग्री या पार्ट्स, जो विनिर्देश के हिसाब से हों, बैंक की राय में, जो अंतिम होगा, आसानी से उपलब्ध न हों) को ठेकेदार को उसके रिस्क और लागत पर खरीदना/करना या खरीदने/करने की इजाज़त देना और संविदा के तहत आपूर्तिके बारे में ठेकेदार की दायित्व पर असर डाले बिना; या

iii) संविदा रद्द करें और सामाग्री या इसी तरह के दूसरे सामाग्री (जब सामाग्री या पार्ट्स बैंक की राय में विनिर्देश के बिल्कुल मुताबिक न हों, जो अंतिम होगा, आसानी से उपलब्ध होगा) की मात्रा/काम को ठेकेदार के रिस्क और लागत पर खरीदें/एक्ज़िक्यूट करें या खरीदने/एक्ज़िक्यूट करने के लिए ऑथराइज़ करें। ऊपर दिए गए क्लॉज़ (ii) या इस क्लॉज़ के तहत कार्रवाई लिए जाने पर, डिलीवरी क्लॉज़ का प्रावधानजहाँ तक लागू हो, लागू होगा।

17.7 रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फैसला आखिरी होगा : रिजेक्शन के बारे में बैंक के इंजीनियर का फैसला आखिरी होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर लागू होगा।

18.0 पूर्णता अवधि

18.1 काम करने के लिए **बैंक से कार्य आदेश/सूचना मिलने की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया है**, जैसा कि मेमोरेंडम में बताया गया है, ठेकेदार को इसका सख्ती से पालन करना होगा। संविदा की तय अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे संविदा के विभाग-V- "इसमें पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताए गए "लिक्विडिटी डैमेज" में बताए गए लिक्विडिटी डैमेज का भुगतान करना होगा। निविदा देने वाले को काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड कार्य प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे नियुक्ता से मंजूरी लेनी होगी।

18.2 बैंक बिल्डिंग के कंपाउंड में लॉक करने लायक स्टोरेज स्पेस देगा। लेकिन, स्टोर किए गए सामान की ज़िम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक किसी भी कार्यर के लिए रहने की स्थान नहीं देगा।

19.0 बीमा

19.1 ठेकेदार को काम शुरू होने की तारीख से लेकर काम पूरा होने तक बैंक और ठेकेदार (बैंक का नाम पहले) के जॉइंट नाम से बीमा पॉलिसी लेनी होगी। बताई गई दरों में इन बीमा पॉलिसियों की लागत शामिल होगी। पॉलिसियों में ये जोखिम शामिल होंगे:

- ठेकेदार के लिए सभी रिस्क बीमा, जिसमें आग, भूकंप, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, पूरे संविदा मूल्य के लिए।
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कार्यमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।
- थर्ड पार्टी दायित्व पॉलिसी, जिसकी लिमिट नीचे दी गई है:
 - ₹ 10,00,000/- प्रति वर्ष।
 - प्रति घटना ₹ 2,00,000/-.

नोट: ये पॉलिसी काम पूरा होने तक वेध रहेंगी। अगर ये पॉलिसी ठेकेदार नहीं देता है, तो बैंक के पास ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी खुद लेने और ठेकेदार के बिल से उसका खर्च वसूलने का अधिकार है।

20.0 वारंटी / दोष दायित्व अवधि (DLP)

20.1 आपूर्तिकिए गए सामाग्री / सिस्टम की गारंटी पूरे सिस्टम के आभासी कम्प्लीशन की तारीख से 12 महीने के दोष दायित्व अवधि (DLP) के लिए सभी तरह के दोष के खिलाफ होगी। गारंटी अवधि के अंदर सिस्टम / सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदा देने वाले को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ठीक करना / बदलना होगा।

21.0 भुगतान की शर्तें

21.1 इस संविदा के तहत किए जाने वाले कामों के लिए भुगतान इस तरह किया जाएगा और भुगतान के तरीके में कोई भी बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंकको मंजूर नहीं होगा।

- a. काम की कीमत का 60% हिस्सा साइट पर सभी काम पूरा होने पर, बैंक की ऑन-साइट तकनीकी टीम द्वारा काम का माप, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के साथ, निविदा की शर्तों के अनुसार सभी बीमा पॉलिसी, कोई भी दूसरा दस्तावेज़ वगैरह जमा करने पर दिया जाएगा।
- b. बैंक के काबिल तकनीकी अधिकारी द्वारा काम के माप का जांच चेक पूरा होने पर काम की कीमत का 35% दिया जाएगा।
- c. काम की कीमत का बाकी 5%, 1 साल के DLP अवधि के बाद, 1 साल के DLP के दौरान संविदा की शर्तों और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पर दिया जाएगा।

दूसरे मामले

22.0 ठेकेदार सारा काम बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, विवरण और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करेगा। अगर बैंक के इंजीनियर की राय में, साइट की कंडीशन के हिसाब से थोड़े बदलाव करने हैं और नियुक्ता की लिखित मंजूरी से, वे ठेकेदार से यह काम करवाना चाहते हैं, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यह काम करेगा।

23.0 निविदा देने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्च पर, निविदा करने और संविदा करने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी लेनी होगी और ड्राइंग की जांच करनी होगी, काम की स्थान का निरीक्षण करना होगा, और सभी स्थानीय हालात, काम तक पहुंचने के तरीके, काम का नेचर और उससे जुड़े सभी मामलों से खुद को परिचित करना होगा। ऐसे मामलों में नियुक्ता का फैसला आखिरी होगा और उस पर आर्बिट्रेशन नहीं होगा।

24.0 हर काम और विनिर्देश के लिए संभावित मात्रा का एक अनुसूची इन खास शर्तों के साथ दिया गया है। संभावित मात्रा के अनुसूची में नियुक्ता अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या कुछ जोड़कर बदलाव कर सकता है। हर निविदा में न सिर्फ़ दर होने चाहिए, बल्कि काम के हर आइटम की कीमत भी एक अलग कॉलम में लिखी होनी चाहिए और पूरे निविदा की कुल कीमत दिखाने के लिए सभी आइटम का टोटल किया जाना चाहिए।

25.0 निविदा में दिए गए दर में स्कैफोल्डिंग, रात में निगरानी और लाइटिंग के सभी चार्ज शामिल होंगे, साथ ही शनिवार/रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी, बाकी सभी बनी हुई चीजों, सामान या चीजों की सुरक्षा भी शामिल होगी। ठेकेदार ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी सभी सेंट्रिंग, स्कैफोल्डिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान खराब हुई सभी चीजों और कामों को पूरी तरह से ठीक कर देगा और बैंक की संतुष्टि के अनुसार ठीक कर देगा।

26.0 बैंक विद्युत टूल्स को कनेक्ट करने के लिए काम की स्थान के पास एक सही विद्युत पॉइंट की पहचान करेगा। फर्म ऊपर बताए गए विद्युत पॉइंट से लेकर सिस्टम के पूरे अधिष्ठापन और कमीशनिंग तक के काम पर विचार करेगी। सही एसी केबल/वायर या एसी पावर, स्टैंडर्ड के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार ठेकेदार के काम के दायरे में होगी। ठेकेदार निविदा के लिए उद्धरण देते समय ऊपर बताए गए एसी आपूर्तिके काम की लागत पर भी विचार कर सकता है।

27.0 ठेकेदार को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-संविदा में देरी या परियोजना के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में देरी शामिल है। नियुक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

28.0 सफल निविदा देने वाला काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी काम करने के लिए मजबूर है, भले ही वे आइटम मात्रा और दर में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त आइटम और उनकी मात्रा के बारे में निर्देश का अनुसूची बैंक लिखकर जारी करेगा।

29.0 सफल निविदा देने वाले को बैंक द्वारा नियुक्त दूसरे ठेकेदार के साथ सहयोग करना होगा ताकि काम कम से कम देरी के साथ आसानी से हो सके। उसे अपने द्वारा आपूर्तिकिए गए सभी सामान के स्टोरेज और सुरक्षा का खुद इंतज़ाम करना चाहिए।

30.0 काम किसी भरे हुए कार्यालय में करना होगा और इसलिए, इसे सीमित घंटों/ कार्यालय के घंटों के बाद/ शनिवार/ रविवार/ बैंक की छुट्टियों में करना पड़ सकता है।

31.0 ठेकेदार को यह ध्यान रखना होगा कि सारा काम नियुक्ता के बताए गए विनिर्देश के हिसाब से और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकारीज़ की ज़रूरतों और स्टेट/ सेंट्रल विद्युत इंस्पेक्टर और किसी भी दूसरे अधिनियम/ नियम/ विनियमन की ज़रूरतों के हिसाब से ही किया जाएगा और किसी भी वजह से कोई बदलाव नहीं होने दिया जाएगा।

32.0 सफल निविदा देने वाले को सरकार और/या किसी दूसरी प्राधिकारी से ज़रूरी निरीक्षण शुल्क लेनी होगी और उसका भुगतान करना होगा। ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी परमिट लेना होगा और प्राधिकारी के विनियमन के हिसाब से जांच भी करने होंगे। अधिकृत इंस्टीट्यूशन को किया गया भुगतान मूल रसीद जमा करने पर वापस कर दिया जाएगा।

33.0 निविदा के भाग-1 के साथ ये दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

- केरल राज्य में संबंधित वर्ग (LT) के विद्युत काम करने के लिए केरल स्टेट विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी विद्युत ठेकेदार लाइसेंस।
- निविदा का फॉर्म, जिस पर बोली लगाने वाली फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर हो।
- चेकसूची (**निविदा दस्तावेज़ का विभाग-IX**), ठीक से भरी हुई और बोली फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की हुई।
- साइट दौरा के बारे में हस्ताक्षर किया हुआ घोषणा - अनुलग्नक A.
- अगर लागू हो, तो एमएसई / उद्यम पंजीकरण के लिए वैध प्रूफ।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा देने वालों की गाइडेंस के लिए ऊपर दिए गए निर्देश पढ़ और समझ लिए हैं।	
साक्षी	निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
पता	पता
तारीख	तारीख

धारा-III- सुरक्षा कोड

सामान्य सुरक्षा

1. प्राथमिक उपचार के उपकरण, जिसमें स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, को आसानी से पहुँचने वाली स्थान पर रखा जाएगा।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए मज़दूरों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8m से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर को लगाया जाएगा।
5. खोदी गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5m या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों को कम से कम एक मीटर की ऊंचाई पर ज़रूरी सुरक्षा दी जाएगी।
- 6. किसी बिल्डिंग या वर्किंग प्लेटफॉर्म के फर्श में हर खुली स्थान पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।**
7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य भाग पर मलबा या सामग्री इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टार, या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने का काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और दस्ताने दिए जाएंगे।
10. सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
11. जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाने चाहिए।
12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होंगे।
13. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता की, काफ़ी मज़बूत और बिना किसी खराबी वाली होनी चाहिए।
14. ठेकेदार को काम करने के लिए मज़दूरों को कानूनी नियमों के हिसाब से सभी सुरक्षा गैजेट देने होंगे।

अग्नि सुरक्षा

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे सामाग्री को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
2. सिर्फ आईएसआई मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और सामाग्री ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
3. इस्तेमाल होने वाले विद्युत बिजली केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।
4. सभी बिजली के उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह, काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और मज़बूती से अर्थ किए जाएंगे।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, अग्नि विभाग को बताया जाएगा और अग्नि अधिकारी /कर्मचारियों द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
6. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली स्थान पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।
7. अग्नि अधिकारी द्वारा अनुशंसा किए गए और जारी किए गए अग्नि एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।
8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाएगा।
9. काम की ज़रूरत के हिसाब से, ठेकेदार मज़दूरों को काम से होने वाले स्वास्थ्य के खतरों से बचाने के लिए व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव सामाग्री जैसे सुरक्षा शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार देगा और कार्य ग्राउंड लेवल से 10 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।
11. बैंक परिसर में किसी भी रास्ते / सड़क / सीढ़ी का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान / कचरा जमा करने / फेंकने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी आग बुझाने वाले यंत्र को उसकी तय स्थान से हटाया/स्थान से हटाया नहीं जाएगा।
14. जब सामाग्री इस्तेमाल में न हो, तो मेन से बिजली बंद कर दी जाएगी।
15. काम से निकलने वाले लकड़ी के बुरादे और लकड़ी के बुरादे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय स्थान पर स्टोर किया जाएगा।
16. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय स्थान पर स्टोर किया जाएगा।
17. कार्यालय समय के बाद काम करते समय ठेकेदार को कार्यर्स को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

धारा-IV- इसके बाद संदर्भित शर्तें

व्याख्या खंड

1.0 इन शर्तों, विनिर्देश, मात्रा के अनुसूची और संविदा करार को समझने में, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के लिए कुछ और ज़रूरी हो।

(ए)	"नियोक्ता"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" करेगा मतलब _____ और _____ व्यापार में नाम और शैली का _____ और व्यवसाय का स्थान होना पर _____ और इसमें उक्त फर्म के तत्कालीन साझेदार और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे साथी।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" अर्थ श्री. _____ के नाम पर व्यापार और शैली का _____ और इसमें उनके वारिस, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	" ठेकेदार" अर्थ _____ एक निगमित कंपनी अंतर्गत _____ और इसके होने पंजीकृत कार्यालय पर _____ और इसमें इसके उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे अहस्ताक्षर करता है।
(सी)	"साइट"	इसका मतलब संविदा के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो नियुक्ता ने ठेकेदार के इस्तेमाल के लिए दी है।
(डी)	"संविदा"	इसका मतलब होगा करार के शर्तें, विशेष निर्देश, शर्तें, यहां पहले बताया गया परिशिष्ट, मात्रा और विनिर्देश का अनुसूची वगैरह जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और सही तरह से हस्ताक्षर किए हुए हैं।
(ई)	"लिखित सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद न भेजा जाए या यह साबित न हो जाए कि वह मिल गया है) पंजीकृत पोस्ट से आखिरी जाने-पहचाने निजी या बिज़नेस पते पर, जो आम तौर पर मिला हो। पोस्ट के ज़रिए इसे डिलीवर कर दिया गया होगा।
(एफ)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका अर्थ होगा प्रेसिडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, , या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाला कोई भी अधिनियम।

(जी)	"निवल मूल्य"	अगर संविदा की रकम तय करते समय, ठेकेदार ने निविदा में मौजूद आइटम के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह प्रतिशत के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो निविदा में किसी भी आइटम की निवल कीमत, निविदा में उस आइटम की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़े में जोड़ने या घटाने से मिली रकम होगी। ठेकेदार द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का उतना ही प्रतिशत या हिस्सा, किसी भी प्राइम लागत आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को निविदा की कुल रकम से घटाया जाएगा। शब्द अभिव्यक्ति "निवल दर " या "निवल कीमतें" जब संविदाया खातों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरों या कीमतों से माना जाएगा पर।
(एच)	"काम"	इसका अभिप्राय यहां दिए गए "आरबीआई, कोच्ची स्थित कार्यालय भवन में बैकसाइड पैसेज कॉरिडोर के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य" से होगा।

शब्द इंपोर्ट करने वाले लोगों में फर्म और कॉर्पोरेशन शामिल हैं। शब्द इंपोर्ट करने वाले सिर्फ एकवचन में बहुवचन भी शामिल है और जहाँ संदर्भ की ज़रूरत हो, वहाँ इसका उल्टा भी शामिल है।

संविदा का दायरा

2.0 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और नियुक्ता के निर्देशों और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया काम करेगा और पूरा करेगा। नियुक्ता अपनी मर्जी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "नियुक्ता के निर्देश" कहा जाएगा:

(क) कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना, छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।

(बी) चित्रों में या मात्राओं की अनुसूची और / या चित्रों और / या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

(c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी स्थान कोई दूसरा सामान रखना।

(घ) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः करना।

(ई) वहां नियोजित किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।

(f) किसी भी ढके हुए काम को निरीक्षण के लिए खोलना।

धारा-4-पैरा-29.0 के अधीन किसी दोष को संशोधित करना तथा उसे ठीक करना ।

ठेकेदार को नियुक्ता के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, लेकिन यह हमेशा ज़रूरी है कि नियुक्ता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, दिशा निर्देश और स्पष्टीकरण, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो ठेकेदार को सात दिनों के अंदर लिखकर पुष्टि करना होगा, और अगर नियुक्ता अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे संविदा के दायरे में नियुक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार के कर्तव्य

3.0 ठेकेदार के कामों में ये शामिल हैं:

- a) बताए गए कामों को ठीक से करने और पूरा करने के लिए ज़रूरी लेबर, सामाग्र और सामाग्री, टूल्स, निर्माण सामाग्री और मशीनरी और दूसरी सुविधाएं और सर्विस देना और उनके लिए भुगतान करना।
- b) ज़रूरी काम को ठीक से करने और पूरा करने के लिए ज़रूरी परमिट, वैधानिक श्रमिक मैन क्षतिपूर्ति बीमा, शुल्क और लाइसेंस लें और उनका भुगतान करें।
- c) ज़रूरी नोटिस दें।
- d) इस विनिर्देश में कानूनी ज़रूरतों से अंतर देखे जाने पर परामर्शदाता को तुरंत लिखकर बताएं।
- e) कर्मचारियों के बीच सख्त अनुशासन और अच्छा आदेश लागू करें। दिए गए काम में अनस्किल्ड लोगों को काम पर न रखें।

बदलाव नियुक्ता से मंजूर किए जाने हैं

4.0 ठेकेदार एक सत्यापन का विवरण जमा करेगा जिसमें मात्रा और दर दिए जाएंगे, जिसके साथ दर, वाउचर्स वगैरह का विश्लेषण भी होगा। नियुक्ता द्वारा जांच और अंतिम मंजूरी के बाद दर एक अनुपूरक निविदा बनेंगे। नियुक्ता इन परिवर्तन के भुगतान के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह इन स्टेटमेंट्स को मंजूरी नहीं दे देता।

ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और करार

5.0 संविदा तीन कॉपी में पूरा किया जाएगा और ठेकेदार को अपने इस्तेमाल के लिए एक कॉपी मिलेगी। ठेकेदार काम करने के लिए लाइन डायग्राम, सिस्टम कॉन्फिगरेशन ड्राइंग और दूसरी ज़रूरी ड्राइंग और दस्तावेज़, अगर कोई हों, तैयार करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, वह तुरंत नियुक्ता को, सभी ड्राइंग और विनिर्देश बैंक को वापस कर देगा।

कार्य क्रम

6.0 सफल ठेकेदार को निविदा में काम पूरा करने के लिए सभी खर्च शामिल करने होंगे, ताकि काम अनुसूची तालिका में दिए गए समय अनुसूची में काम पूरा हो सके। निविदा जमा करके, ठेकेदार इस बात से सहमत होता है कि उसने परियोजना विनिर्देश और ड्राइंग्स को समीक्षा किया है, जॉबसाइट का दौरा किया है, और अनुमोदित

अनुसूची के अनुसार ओवरऑल समय - सीमा के अनुसार सभी काम पूरे करेगा। अनुसूची समय - सीमा नियुक्ता से आगे बढ़ने का नोटिस या संविदा मिलने के बाद शुरू होता है। ठेकेदार को परियोजना अवार्ड करने से पहले, कार्य टास्क अनुसूची के अनुसार अनुमोदित समय - सीमा के अनुसार एक डिटेल्ड अनुसूची देना होगा।

ठेकेदार द्वारा परिसर का उपयोग

7.0 काम की स्थान एक ऑक्युपाइड बिल्डिंग है। ठेकेदार का स्थान का इस्तेमाल इन बातों पर निर्भर करेगा:

a) साइट पर बेवजह सामान या सामाग्री का बोझ न डालें। स्टेजिंग एरिया क्लाइंट के बताए अनुसार ही बनाया जाएगा।

b) स्थान पर या बाहर रखे गए टूल्स और प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और सेफ रखने की पूरी ज़िम्मेदारी लें।

ठेकेदार को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी

8.0 ठेकेदार अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, मात्रा के अनुसूची और विनिर्देश के इरादे और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर ठेकेदार को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, मात्रा के अनुसूची और विनिर्देश के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर नियुक्ता को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी काम स्वास्थ्य और सुरक्षा रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

कार्यालय के सामान्य कामों में कोई रुकावट नहीं

9.0 यह परियोजना एक मौजूदा बिल्डिंग में किया जा रहा काम है। यह ज़रूरी है कि ठेकेदार सुरक्षा, धूल और ढीले सामान से बचाव, शोर कम करने, बिल्डिंग में पानी और हवा के घुसने से बचाव, और बिल्डिंग के अंदर और बाहर काम करने की जगहों पर साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी सभी बातों पर खास ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, कबाड़ का सामान और तोड़-फोड़ का मलबा रोज़ाना बिल्डिंग और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

10.0 अगर संविदा में ऐसे काम शामिल हैं, जो नॉर्मल बिज़नेस संचालन के दौरान रुकावट डालेंगे, या बिल्डिंग में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो ये काम क्लाइंट के बताए गए समय में किए जाएंगे। ऐसे कामों के उदाहरणों में, बिना किसी लिमिट के, कंक्रीट की आरी से कटिंग, जैक हैमरिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, कंक्रीट डालना, स्टील खड़ा करना, या बिल्डिंग के इस्तेमाल किए जा रहे हिस्सों पर सामाग्री चढ़ाना या जांच करना शामिल हैं। ठेकेदार क्लाइंट के बताए गए समय में ऐसा काम करेगा और अपने निविदा में सभी खर्च शामिल करेगा।

11.0 ठेकेदार को बिल्डिंग के नॉर्मल समय में शोर का लेवल 75dB से कम रखना होगा। जब इस लेवल से ज़्यादा शोर करना ज़रूरी हो, तो ठेकेदार क्लाइंट को ऐसी ज़रूरतों के बारे में बताएगा और बताए गए समय के हिसाब से समय तय किया जाएगा। ठेकेदार को बहुत ज़्यादा शोर पैदा करने वाले किसी भी प्रक्रिया का अंदाज़ा लगाना होगा और निविदा में इसके लिए छूट शामिल करना होगा।

कार्य और संपत्ति की सुरक्षा

12.0 ठेकेदार उन जगहों पर सभी फिनिशड फ़्लोर पर एक सही प्रोटेक्टिव कवर लगाएगा जहाँ काम किया जा रहा है। फिनिशड फ़्लोर पर या उसके ऊपर कोई भी सामग्री हैंडलिंग सामग्री लगाने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक कि क्लाइंट द्वारा मंज़ूर तरीके से फ़्लोर को सुरक्षित न किया गया हो। ठेकेदार की वजह से बिल्डिंग फिनिश को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत क्लाइंट को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के करनी होगी। ठेकेदार काम के दौरान खराब होने वाले आस-पास के किसी भी फिनिश की फ़ोटो लेगा ताकि फ़ोटो रिकॉर्ड किया जा सके।

प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

13.0 ठेकेदार को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी अधिनियम के प्रोविज़न, और किसी भी प्राधिकारी, और इलेक्ट्रिक सप्लाइ और दूसरी कंपनियों और/या प्राधिकारी के विनियमन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से अधिष्ठापन को कनेक्ट करने का प्रस्ताव है। और, ड्राइंग या विनिर्देश में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने के लिए ज़रूरी हो सकता है, नियुक्ता को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने का कारण बताया जाएगा और उस पर निर्देश के लिए आवेदन करेगा। अगर ठेकेदार को दस दिनों के अंदर ऐसे निर्देश नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रोविज़न, विनियमन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से विभाग-IV-पैरा-22.0 के तहत निपटा जाएगा।

13.1 ठेकेदार, नियुक्ता के ध्यान में उन सभी नोटिस को लाएगा जो बताए गए अधिनियम, विनियमन या बायलॉज़ के तहत किसी भी प्राधिकारी को दिए जाने ज़रूरी हैं और उस प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को, काम के संबंध में लगने वाली सभी शुल्क का भुगतान करेगा और रसीदें नियुक्ता के पास जमा करेगा।

13.2 ठेकेदार, नियुक्ता को अधिकारों से जुड़े सभी दावों के लिए हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी कार्रवाई का बचाव करेगा, और खुद ही सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज का भुगतान करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।

कार्यों की स्थापना

14.0 ठेकेदार काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और उत्तम तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए। अगर काम पूरा होने के एक साल के अंदर काम की प्रोग्रेस के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो ठेकेदार, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, नियुक्ता की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी

15.0 सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक हो सके, मात्रा और/या विनिर्देश के अनुसूची में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और नियुक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार नियुक्ता के कहने पर उसे सभी बीजक, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके हिसाब से है। ठेकेदार अपने खर्च पर नियुक्ता की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी सामग्री का जांच करवाएगा और/या करवाएगा।

ठेकेदार की देखरेख और कार्य स्थल पर प्रतिनिधि

16.0 ठेकेदार काम के दौरान सभी ज़रूरी व्यक्तिगत पर्यवेक्षण देगा, और उसके बाद जब तक नियुक्ता ज़रूरी समझे, विभाग-V- "इसमें पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताए गए "दोष दायित्व अवधि" के खत्म होने तक। ठेकेदार पूरे समय काम चलने के दौरान एक काबिल प्रतिनिधि को भी काम पर रखेगा, जो काम पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। नियुक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी दिशा निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

कामगारों की बर्खास्तगी

17.0 ठेकेदार, नियुक्ता के कहने पर, काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो नियुक्ता की राय में ना काबिल हो या गलत काम कर रहा हो और ऐसे लोगों को नियुक्ता की इजाज़त के बिना काम पर दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।

कार्यों तक पहुंच

18.0 नियुक्ता और उनके प्रतिनिधि को हर सही समय पर काम और/या कार्यशॉप, फैक्ट्री, या दूसरी जगहों पर फ्री एक्सेस होगा जहाँ सामाग्री पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और ठेकेदार नियुक्ता और उनके प्रतिनिधि को सामाग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जांच और जांच के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। सार्वजनिक प्राधिकारी के प्रतिनिधि को छोड़कर, नियुक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

"सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर

19.0 "सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर" शब्द का अर्थ नियुक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति है, ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, जहां तक ऐसा अधिकार नियुक्ता की लिखित पूर्व सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

"सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर या नियुक्ता के किसी भी प्रतिनिधि के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या सामाग्री को मंजूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा काम असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) / मैनेजर (टेक.) / बैंक के इंजीनियर (टेक.) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे सामाग्री का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।

असाइनमेंट और उप-किरायेदारी

आरबीआई, कोच्चि के ऑफिस बिल्डिंग में बैंकसाइड पैसेज कॉरिडोर के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य

20.0 संविदा में शामिल सभी काम ठेकेदार ही करेगा और ठेकेदार, नियुक्ता की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना संविदा या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से, अहस्ताक्षर या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग ठेकेदार को संविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या काम के चलने के दौरान उसकी एक्टिव देखरेख से राहत नहीं देगी।

20.1 कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव इस संविदा को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर नियुक्ता को काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव, कुछ जोड़ना या कुछ छोड़ना या उसमें इस्तेमाल होने वाले सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई बदलाव करना सही लगता है और वह ठेकेदार को अपने हाथ से लिखकर इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार उस सूचना के अनुसार, जैसा भी हो, बदलाव करेगा, कुछ जोड़ेगा या कुछ नहीं हटाएगा, लेकिन ठेकेदार नियुक्ता की पहले से लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा, कोई बदलाव, कुछ जोड़ना या कुछ नहीं हटाएगा या संविदा, शर्त, विनिर्देश या संविदा ड्राइंग के किसी भी नियम से कोई बदलाव नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, कुछ बदलने, कुछ जोड़ने या कुछ न हटाने की कीमत सभी मामलों में विभाग-IV-पैरा-26.0 के नियमों के अनुसार नियुक्ता की पहले से लिखित मंजूरी से तय की जाएगी, और उसे, जैसा भी हो, संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा।

मात्राओं की अनुसूची

22.0 मात्रा का अनुसूची, जब तक कुछ और न कहा गया हो, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ़ माप के हिसाब से तैयार किया गया माना जाएगा। डिटेल या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के अनुसूची से आइटम्स के छूट जाने से यह संविदा खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और विभाग-IV-पैरा-26.0 के तहत पता लगाई गई उसकी मूल्य, संविदा राशि में जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार के दर के अनुसूची में कोई गलती, अगर कोई हो, तो उसे ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

23.0 ठेकेदार को निविदा देने से पहले यह पक्का कर लिया जाएगा कि वह काम के लिए अपने निविदा और मात्रा के अनुसूची और/या दर और मूल्य के अनुसूची में बताई गई कीमतों के सही और काफी होने के बारे में संतुष्ट है। ये दर और कीमतें संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

कार्यों का मापन

24.0 "सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार और नियुक्ता को बता सकता है कि उसे काम का माप करवाना है, और ठेकेदार तुरंत अटेंड करेगा या असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) / मैनेजर (टेक.) / बैंक के इंजीनियर की मदद के लिए एक क्वालिफाइड एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी विवरण दी जा सकें या उनमें से किसी के लिए भी ज़रूरी सभी मदद दी जा सके। अगर ठेकेदार ऐसे एजेंट को अटेंड नहीं करता है, उसे भेजने में लापरवाही करता है, या उसे भेजना भूल जाता है, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / बैंक के इंजीनियर द्वारा लिया गया माप काम का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप विनिर्देश में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे। ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है जिनकी उसे ज़रूरत हो। नियुक्ता की

पहले से लिखित मंजूरी से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त काम, चूक और सभी बदलाव ऐसे माप में शामिल किए जाएंगे।

अतिरिक्त वगैरह के लिए कीमतें पता लगाना

25.0 ठेकेदार, नियुक्ता से अधिकृत होने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या विनिर्देश में बताए गए, या मात्रा के अनुसूची में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, हटा सकता है, या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकृति या निर्देश के बिना कोई जोड़, कमी या बदलाव नहीं करेगा। नियुक्ता द्वारा दिया गया कोई जुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वह सात दिनों के अंदर लिखकर पुष्टि करता है, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा। किसी भी अतिरिक्त चीज़ के लिए कोई क्लेम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विभाग-IV-पैरा-5.0 के प्रावधानके तहत नियुक्ता की सहमति से पूरा न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त को यहाँ अधिकृत अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

(ए)	<p>(i) मूल निविदा में निवल दर या कीमतों से अतिरिक्त काम की मूल्यांकन तय होगी, अगर ऐसा अतिरिक्त काम उसी तरह का हो और उसमें बताए गए काम जैसी ही कंडीशन में किया गया हो।</p> <p>(ii) सभी चीज़ों के दर, जहाँ तक हो सके, मात्रा के प्राइसड अनुसूची में दिए गए दर से निकाले जाने चाहिए।</p>
(बी)	<p>मूल निविदा की निवल कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की मूल्य तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का मूल्यांकन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।</p>
(सी)	<p>जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या ऊपर बताए गए समान परिस्थितियों में निष्पादित नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन परिस्थितियों में भिन्न हैं जिनके तहत कार्यों की किसी भी शेष वस्तु को किया जाता है या यदि पूरे संविदाकार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की राशि ऐसी है कि नियोक्ता की राय में मात्राओं की मूल्य अनुसूची या निविदा में निहित निवल दर या मूल्य या कार्यों के किसी भी मद के लिए ठेकेदार द्वारा उचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से अधिक है या ऐसी चूक या परिवर्धन के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाता है, तो नियोक्ता ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा हालात को वह सही और उचित समझेगा।</p>
(डी)	<p>जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्य नहीं किया जा सकता, वहां ठेकेदार को स्थानीय दिन कार्य दर और जिले की मज़दूरी के हिसाब से निवल दर पर दिन कार्य मूल्य दिए जाएंगे, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल किए गए सामग्री के बारे में बताने वाले वाउचर, सत्यापन के लिए नियुक्ता को दिए जाएं। पर या पहले अंत का सप्ताह अगले वह में कौन काम निष्पादित किया गया है।</p>
<p>संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन अनुभाग-वी- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में बताए गए "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं बताया गया है, तो <u>अनुभाग-IV-पैरा-25.0 में परिभाषित किया जाएगा।</u></p>	

अस्थाई सामग्री जिसे नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है

आरबीआई, कोच्चि के ऑफिस बिल्डिंग में बैकसाइड पैसेज कॉरिडोर के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य

26.0 जहां किसी प्रमाणपत्र

में (जिसका ठेकेदार को भुगतान मिल गया है) नियुक्ता ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान नियुक्ता की प्रॉपर्टी बन जाएगा और नियुक्ता की लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

अनुचित कार्य को हटाना

27.0 काम के दौरान, नियुक्ता के पास समय-समय पर लिखकर आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी सामग्री को हटा दे, जो नियुक्ता की राय में नियुक्ता के विनिर्देश या निर्देशों के अनुसार नहीं है, सही सामग्री बदले, और ऐसे किसी भी काम को हटा दे और ठीक से दोबारा करे जो ड्रॉइंग्स और विनिर्देश या निर्देशों के अनुसार नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपने खर्च पर ऐसे आदेश को पूरा करेगा। अगर ठेकेदार ऐसे आदेश को पूरा करने में चूक करता है, तो नियुक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार उठाएगा, या नियुक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी भुगतान में से काट सकता है, या जो भुगतान हो सकता है।

आभासी पूर्णता के बाद दोष

28.0 कोई भी खराबी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियां जो विभाग-V- "इससे पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताए गए "दोष दायित्व अवधि" के अंदर दिख सकती हैं, अगर कुछ नहीं बताया गया है, तो काम लगभग पूरा होने के 12 महीनों के अंदर, जो नियुक्ता की राय में संविदा के हिसाब से नहीं बने सामग्री या कारीगरी की वजह से होती हैं, नियुक्ता के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, ठेकेदार अपने खर्च पर उन्हें ठीक करेगा और डिफॉल्ट होने पर, नियुक्ता ऐसे दोषों, दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च ठेकेदार को भरने होंगे और वहन करने होंगे और ऐसे नुकसान, हानि और खर्च नियुक्ता उससे वसूल कर सकता है या नियुक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी भुगतान से काट सकता है, या नियुक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी भुगतान से काट सकता है। एक राशि जो नियुक्ता द्वारा ऐसे कार्य को संशोधित करने की लागत के बराबर निर्धारित की जाएगी और यदि धारा-II-पैरा-1 2.0 के तहत रखी गई राशि अपर्याप्त है, तो शेष राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही नियुक्ता ने इसके संबंध में जो भी खर्च उठाए हों। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्यों पर नियोजित किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे नियुक्ता द्वारा धारा-IV-पैरा-21.0 और धारा-IV-पैरा-22.0 के अनुसार नामित या अनुमोदित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस पैरा और धारा-IV-पैरा-2.0 के प्रावधानों के अधीन थी। नियुक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।

आभासी समापन का प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि

29.0 जब तक नियुक्ता लिखकर यह प्रमाणित नहीं कर देता कि काम लगभग पूरा हो गया है, तब तक काम को पूरा नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू होगा।

नामित उप-ठेकेदार

30.0 सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना का कार्य करते हैं, जिनके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में शामिल हैं, जिन्हें नियुक्ता द्वारा नामित या चयनित किया जा सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहाँ उन्हें नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

30.1 ऐसे किसी भी नामित सब-ठेकेदार को काम पर या काम के सिलसिले में काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ ठेकेदार को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि नियुक्ता और ठेकेदार किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा।

- a) नामित सब-ठेकेदार, सब-ठेकेदार के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारी के लिए ठेकेदार को हर्जाना देंगे, जैसा कि इस संविदा के संबंध में ठेकेदार पर है।
- b) यह कि नामित सब-ठेकेदार, सब-ठेकेदार, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी मचान या दूसरे प्लांट, ठेकेदार की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू कार्यमैन्स क्षतिपूर्ति अधिनियम के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ ठेकेदार को हर्जाना देगा।
- c) नामित सब-ठेकेदार को भुगतान चौदह दिनों के अंदर किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल नामित सब-ठेकेदार के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, नियुक्ता भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस बिजलीका इस्तेमाल करने से नियुक्ता और सब-ठेकेदार के बीच संविदा की प्राइवैसी नहीं बनेगी।

नियुक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

31.0 नियुक्ता के पास इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए स्थान और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता हो, और ठेकेदार ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

32.0 ठेकेदार को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो उसके या किसी नामित सब-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के संचालन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस संविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ के तहत इस ज़िम्मेदारी में दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग्स को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वे आस-पास हों या किसी और वजह से, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही इस संविदा का विषय बनने

वाली बिल्डिंग्स और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। ठेकेदार इस संविदा का विषय बनने वाली बिल्डिंग्स और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से व्यक्तियों या संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और साथ ही किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे नुकसान रहित बनाए रखेगा। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर और इस संविदाके तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ एक सर्व जोखिम पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें संविदा की राशि के बराबर राशि का बीमा होगा, जिसमें आग, भूकंप के जोखिम और भंडारण, निर्माण, परीक्षण और चालू करने के दौरान होने वाले नुकसान और क्षति शामिल हैं, ठेकेदारों के लिए मानक सर्व जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों पर (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जाएगा) और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा।

32.2 ठेकेदार इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों से भी बचाएगा जो किसी भी व्यक्ति/आम आदमी या किसी दूसरे थर्ड पार्टी द्वारा नियोक्ता के खिलाफ काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए किए जा सकते हैं और संविदा पूरा होने तक, नियोक्ता द्वारा मंज़ूर की गई बीमा कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम पर एक बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले रखा जाएगा) लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट निविदा देने वाले को दिए गए सामान्य निर्देश के तहत कहीं और बताई गई होगी।

32.3 इसी तरह, ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो नियोक्ता पर कार्यमैन क्षतिपूर्ति अधिनियम या इस संविदा के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत और CAMC अवधि के दौरान या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या सब-ठेकेदार के संबंध में सामान्य विधि के तहत किए जा सकते हैं। और संविदा पूरा होने तक, अपने खर्च पर, नियोक्ता द्वारा मंज़ूर किसी बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नामों में (पॉलिसी में पहले वाले का नाम होगा) ऐसे रिस्क के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी बनाएगा और बनाए रखेगा और संविदा के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

32.4 अगर ठेकेदार ऊपर बताई गई बातों को पक्का नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसा पक्का कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है। ठेकेदार किसी भी ऐसी दायित्व के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े

किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी लागत, चार्ज या खर्च के लिए **नियुक्ता** को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा, और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के अवॉर्ड के लिए भी।

32.5 ऐसी गलती के मामले में **ठेकेदार** के खिलाफ **नियुक्ता** के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, **नियुक्ता ठेकेदार** को मिलने वाली किसी भी रकम में से **नियुक्ता** द्वारा चुकाए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज़ के तहत **ठेकेदार** को देने हैं। इस क्लॉज़ के तहत ली गई पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी दावे का बीमा कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर, ठेकेदार पूरी सावधानी से नष्ट या खराब हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए बीमा कंपनी से मिली सारी रकम ठेकेदार को दी जाएगी और ठेकेदार नष्ट या खराब हुए सामान या सामान को फिर से बनाने या रिपेयर करने में हुए खर्च के लिए किसी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

32.6 नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए उतना समय बढ़ाने का हक होगा जितना नियुक्ता ठीक समझे, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में बीमा कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए नियुक्ता से प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

32.7 इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित सब-ठेकेदार से उनके काम के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी बीमा पॉलिसी भी लागू करवाएगा और नियुक्ता को ऐसी पॉलिसी बनाएगा या बनवाएगा। ठेकेदार किसी नामित सब-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि बताई गई बीमा पॉलिसी जमा न कर दी गई हों। अगर सब-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो ठेकेदार उस सब-ठेकेदार से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

प्रारंभ और समापन की तिथि

33.0 ठेकेदार को विभाग-V- "इसके पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताई गई "शुरू होने की तारीख" या नियुक्ता द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर उसे आगे बढ़ाएगा और विभाग-V- "इसके पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताई गई "पूरा होने की तारीख" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे डेकोरेटिव काम को छोड़कर जिनमें नियुक्ता देरी करना चाहे), फिर भी इसमें बाद में दिए गए समय बढ़ाने के प्रावधानके अधीन।

अधूरा काम करने पर हर्जाना

34.0 अगर ठेकेदार विभाग-V- "इससे पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताई गई तारीख तक, या विभाग-IV-पैरा-36.0 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और नियुक्ता लिखकर प्रमाणित करता है कि उसकी राय में काम सही तरीके से पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियुक्ता को विभाग-V- "इससे पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताई गई रकम "परिसमाप्ति हरजाना" के तौर पर उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा।

विलंब और समय विस्तार

35.0 अगर नियुक्ता की राय में, काम में देरी हो रही है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकारीज़ की तरफ़ से की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुई हो या (d) नियुक्ता द्वारा रखे गए या नामित दूसरे ठेकेदार या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र मात्रा और/या विनिर्देश की अनुसूची में नहीं है या (e) विभाग-IV-पैरा-2.0 के अनुसार नियुक्ता के निर्देशों की वजह से या (f) नागरिक हंगामे, कामगारों के स्थानीय मेल-मिलाप या हड़ताल या तालाबंदी की वजह से, जिससे किसी भी बिल्डिंग ट्रेड पर असर पड़ रहा हो या (g) ठेकेदार को नियुक्ता से ज़रूरी निर्देश, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर आवेदन किया हो, तय समय पर न मिलने की वजह से या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें नियुक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत तय कीमत वाली अनुसूची की कीमत से ज़्यादा हो जाती है मात्रा में बदलाव के कारण, संविदा के काम को पूरा करने के लिए समय में सही और उचित बढ़ोतरी की जा सकती है, ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से ज़रूरी हो।

ठेकेदार द्वारा नियुक्ता के निर्देशों का पालन न करना

36.0 अगर ठेकेदार, नियुक्ता से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, ऐसे आगे के ड्रॉइंग का पालन नहीं करता है, तो नियुक्ता ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च नियुक्ता ठेकेदार से वसूल कर सकता है या ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

नियुक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

37.0 यदि ठेकेदार, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, दिवालियापन का कोई कार्य करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या यदि वह निगमित कंपनी है, तो उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश जारी किया जाता है, या वह स्वेच्छा से या न्यायालय और परिसमापक के आधिकारिक असाइनी की देखरेख में परिसमापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, तो दिवालियापन या परिसमापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने के लिए नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर, नियुक्ता को यह उचित संतुष्टि देने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने और उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, यदि नियुक्ता द्वारा ऐसा आवश्यक हो

या अगर ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो) ठेकेदार के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रक्रिया झेलता है,

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा,

या नियुक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को अहस्ताक्षर या सबलेट नहीं करेगा,

या इस संविदा या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर नियुक्ता यह तय करता है कि ठेकेदार

- (i) संविदा छोड़ दिया है, या
- (ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या नियुक्ता से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के 14 दिनों के लिए काम की रफ़्तार रोक दी है, या
- (iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
- (iv) लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी कि उक्त सामग्री या कार्य को नियुक्ता द्वारा इन शर्तों के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया है, साइट से सामग्री हटाने या गिराने तथा प्रतिस्थापित करने में विफल रहा है, या
- (v) सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की जाती है या लगातार विफल रहता है, जिसके बाद ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें ठेकेदार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

तब और बताए गए किसी भी मामले में, नियुक्ता किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखकर सात दिन का नोटिस देने के बाद, ठेकेदार का संविदा और उसकी देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेंगी जैसे संविदा इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, नियुक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम पर जा सकता है और उस स्थान या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औजार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए काम करने और पूरा करने में लगा सकता है या किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने के लिए लगा सकता है, और ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग करने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने के लिए लगा सकता है। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, नियुक्ता ठेकेदार को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर ठेकेदार नोटिस मिलने के बीस दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो नियुक्ता उसे सार्वजनिक ऑक्शन में बेच सकता है, और ठेकेदार को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियुक्ता लिखकर यह पता लगाएगा कि नियुक्ता द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए नियुक्ता को या उसके द्वारा क्या (अगर कुछ भी) देना होगा और काम पूरा करने में नियुक्ता को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर कोई रकम ठेकेदार को देनी है, तो वह रकम और उसके बाद नियुक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियुक्ता को, जैसा भी हो, दी जाने वाली रकम, और नियुक्ता का फैसला पार्टियों के बीच आखिरी और पक्का होगा।

ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

38.0 अगर नियुक्ता को देने वाली रकम का भुगतान, ठेकेदार द्वारा नियुक्ता को ऊपर बताई गई रकम के भुगतान की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया है या अगर नियुक्ता संविदा से मना कर देता है, या अगर नियुक्ता के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, ठेकेदार को नियुक्ता को लिखित सूचना देकर संविदा तय करने की आज्ञा दी होगी और वह नियुक्ता से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से आपूर्तिकिए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

वहां मूल्यांकन विभाग-IV-पैरा-26.0 के अनुसार किया जाएगा ।

प्रमाणपत्र और भुगतान

39.0 नियुक्ता समय-समय पर ठेकेदार को अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किशतों में भुगतान करेगा। यह भुगतान ठेकेदार को किए गए कामों के लिए किया जाएगा। यह भुगतान विभाग-V- "इससे पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताई गई लगभग कीमत (या नियुक्ता की समझ से कम) के बराबर होगा, जो इस संविदा के अनुसार किया गया है। इसके बाद किशतें उस काम की पूरी कीमत तक होंगी, जो बाद में किया गया और बिल्डिंग में लगाया गया। नियुक्ता अपनी समझ से, अंतरिम प्रमाणपत्र में वह रकम शामिल कर सकता है, जो उसे काम में इस्तेमाल के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर दिए गए सामान के लिए सही लगे। और जब काम लगभग पूरा हो गया हो और नियुक्ता ने लिखकर प्रमाणित कर दिया हो कि काम पूरा हो गया है, तो ठेकेदार, नियुक्ता द्वारा लिखित में जारी किए जाने वाले अंतिमप्रमाण पत्र के अनुसार अंतिमबैलेंस के भुगतान का हकदार होगा, जो विभाग-V- "इससे पहले बताए गए परिशिष्ट" में "डिफ़ेक्ट्स दायित्व अवधि" के तौर पर बताई गई अवधि के खत्म होने पर, लगभग पूरा होने की तारीख से या उस अवधि के खत्म होने के तुरंत बाद होगा जब काम पूरी तरह से पूरा हो गया हो और इसके असली इरादे और मतलब के हिसाब से कमियों को ठीक कर दिया गया हो, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि नियुक्ता द्वारा काम के चलने के दौरान या उसके पूरा होने के बाद कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने से ठेकेदार को विभाग-IV-पैरा-2.0 और विभाग-IV-पैरा-29.0 के तहत उसकी ज़िम्मेदारी से राहत नहीं मिलेगी और न ही ठेकेदार को काम या सामग्री से जुड़े धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले में उसकी नाकाबिलियत से राहत मिलेगी, और काम या सामग्री में सभी कमियों और कमियों के मामले में, जो एक वाजिब जांच में पता नहीं चलता। कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही ठेकेदार का किसी भी ऐसे राशि पर कोई दावा होगा जिसे नियुक्ता ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियुक्ता ने भुगतान किया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं है। इस मामले में नियुक्ता का फ़ैसला आखिरी और मानने वाला होगा।

40.0 अगर काम या उसका कोई हिस्सा नियुक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो नियुक्ता के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

40.1 नियुक्ता किसी भी प्रमाणपत्र से, उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

40.2 अगर ठेकेदार आभासी समापन प्रमाणपत्र जारी होने तक काम का बीमा नहीं कराता है और उसे बीमा में नहीं रखता है, तो कोई प्रमाणपत्र या भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

40.3 भुगतान अनुभाग-वी- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में नामित अवधि के भीतर "प्रमाणपत्रों का सम्मान करने की अवधि" के भीतर किया जाएगा, जब ऐसे प्रमाण पत्र नियुक्ता को वितरित कर दिए गए हों।

विलम्बित भुगतान

41.0 अगर नियुक्ता द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली कोई भी रकम, विभाग-V- "इसके पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताए गए "प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि" के अंदर नहीं चुकाई जाती है, तो उस तारीख से जब तक नियुक्ता

को ऐसी रकम चुकानी चाहिए थी, भुगतान होने तक विभाग-V- "इसके पहले बताए गए परिशिष्ट" में बताए गए "देरी से भुगतान के लिए ब्याज की दर" के तौर पर ब्याज लगेगा।

मामले का अंतिम निर्णय नियुक्ता द्वारा किया जाएगा

42.0 विभाग-IV-पैरा-2.0(a), 2.0(b), 4.0, 7.0, 12.0, 19.0, 28.0, 29.0 (a, b, c, d, e, f) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में नियुक्ता का फैसला, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर), (जिन मामलों को यहां "छूट वाले मामले" कहा गया है) आखिरी और आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। नियुक्ता का कोई भी दूसरा फैसला, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन या नियुक्ता का इनमें से कुछ भी देने से इनकार करना, विभाग-IV-पैरा-43.0 के तहत माध्यस्थम् और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी तरह (जिसमें संदर्भ खोलने का प्रावधान भी शामिल है) जैसे कि यह नियुक्ता का फैसला हो।

मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

43.0 अगर काम के दौरान या काम पूरा होने के दौरान कोई झगड़ा या मतभेद होता है (चाहे काम के चलने के दौरान हो या पूरा होने के बाद और चाहे तय होने, छोड़ने या संविदा तोड़ने से पहले हो या बाद में), तो यहां बताए गए किसी भी छूटे हुए मामले को छोड़कर, पार्टियां पहले ऐसे झगड़ों या मतभेदों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगी। अगर दोनों पार्टियां ऐसे आपसी करार पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो विवाचक सभी झगड़ों या मतभेदों को आखिर में यहां बताए गए तरीके से सुलझाएंगे।

अगर पार्टियां इस तरह के आपसी करार से करार नहीं कर पाती हैं, तो कोई भी पार्टी 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को एक लिखित नोटिस दे सकती है, जिसमें यह कहा जाएगा कि विवाद या मतभेद वाले सभी मामलों पर माध्यस्थम् किया जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों के बारे में बताया जाएगा जिन पर विवाद या मतभेद है और जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई दूसरा मामला दोनों पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए एक ही विवाचक के माध्यस्थम् के लिए नहीं भेजा जाएगा या अगर एक ही विवाचक की नियुक्ति पर असहमति है, तो दो विवाचक (हर पार्टी द्वारा एक नियुक्त किया जाएगा) और विवाचक द्वारा नियुक्त एक अंपायर की नियुक्ति की जाएगी। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम ऐसे माध्यस्थम् पर लागू होंगे।

अगर विवाचक या विवाचकों में से किसी एक की, जैसा भी मामला हो, मौत हो जाती है, वह काम करने से मना कर देता है, या इस्तीफा दे देता है या किसी भी वजह से काम करने में असमर्थ हो जाता है या कोर्ट किसी भी वजह से अवॉर्ड रद्द कर देता है, तो पार्टियों के लिए ऊपर बताए गए तरीके से दूसरा विवाचक नियुक्त करना कानूनी होगा।

माध्यस्थम् की स्थान कोच्ची, भारत होगी।

इस अनुसूची के तहत नियुक्त विवाचक या विवाचक मिलकर माध्यस्थम् की कार्रवाई करेंगे और पार्टियों की सहमति से फैसला सुनाने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार उनके पास होगा।

माध्यस्थम् और उस पर अवार्ड के लिए संदर्भ पेंडिंग होने तक, पार्टियां यहां संविदा के अनुसार सभी तरह से काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी और सभी झगड़े, अगर कोई हों, तो आखिर में माध्यस्थम् में सुलझा लिए जाएंगे।

माध्यस्थम् के हर या ऐसे किसी भी संदर्भ पर, जैसा कि यहां बताया गया है, संदर्भ और अवॉर्ड की लागत और उससे जुड़े खर्च, विवाचक या विवाचकों या अंपायर, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर होंगे, जो इसकी रकम तय कर सकते हैं।

विवाचक , विवाचकों या अंपायर, जैसा भी मामला हो, झगड़े के हर मामले पर सोच-समझकर फैसला देंगे जो आखिरी होगा और दोनों पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के माध्यस्थम् में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक विवाचकों का फैसला नहीं आ जाता, जैसा भी मामला हो, वह यहां दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों का पालन करेगा, साथ ही यहां संविदा किए गए काम को असल में करने के बारे में निर्देशों का भी पालन करेगा और कोई भी फैसला ठेकेदार को यहां दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों के साथ-साथ काम को असल में करने के बारे में निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। बैंक और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस अनुसूची के तहत माध्यस्थम् , संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

अगर माध्यस्थम् की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं, करार कर लेती हैं या कंपाउंड कर लेती हैं, तो माध्यस्थम् के लिए संदर्भ और विवाचक या विवाचकों, या अंपायर, जैसा भी हो, का नियुक्ति रद्द माना जाएगा और माध्यस्थम् की कार्रवाई उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या खत्म हो जाएगी, जिस तारीख को पार्टियां विवाचक या विवाचकों या अंपायर, जैसा भी हो, के पास सेटलमेंट का जॉइंट मेमोरेण्डम फाइल करती हैं।

इस खंड के मकसद के लिए, "छूट वाले मामले" का मतलब काम का दायरा, संविदा की कीमत, डिलीवरी अनुसूची और अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र के तहत आने वाले सभी या किसी भी मामले से होगा।

अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

44.0 नियुक्ता को काम की तकनीकी जांच करवाने का अधिकार होगा और अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार के सभी सहायक वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह के साथ अंतिम बिल की जांच करवानी होगी। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा प्रमाणित पाई जाती है, तो नियुक्ता के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

नियुक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का अधिकार है

45.0 अगर, किसी भी वजह से, नियुक्ता, कार्यमैन्स क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी कार्यर को क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर है, तो नियुक्ता को ठेकेदार से दिए गए क्षतिपूर्ति की रकम वसूलने का हक होगा, और इससे उस अधिनियम के तहत नियुक्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियुक्ता को सिक्योरिटी जमा से या इस संविदा के तहत या किसी और तरह से नियुक्ता द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी रकम से काटकर ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज्ञा दी होगी। नियुक्ता उस अधिनियम के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियुक्ता को उन सभी खर्चों के लिए नियुक्ता की संतुष्टि के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए नियुक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

कार्यों का परित्याग

46.0 निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियुक्ता, किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करवाने की ज़रूरत नहीं समझेगा। नियुक्ता ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम को करने से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

अधिशेष सामग्री की वापसी

47.0 इस संविदा के किसी या सभी खंड में इसके उलट कुछ भी होने के बावजूद, जहाँ संविदा को पूरा करने के लिए कोई भी सामान नियुक्ता की मदद से सरकार के आदेश, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ ठेकेदार उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ संविदा के मकसद के लिए रखेगा और नियुक्ता की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे फेंकेगा नहीं और अगर नियुक्ता चाहे तो उसे नियुक्ता को उस कीमत पर लौटा देगा जो नियुक्ता तय करेगा, जिसमें सामान की हालत का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे लेवी शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास का अपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण नियुक्ता को हुए सभी भुगतान, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

अगर ठेकेदार की मौत हो जाती है, तो नियुक्ता का संविदा खत्म करने का अधिकार

48.0 इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो नियुक्ता के पास संविदा खत्म करने का विकल्प होगा, और ऐसी समापन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

दुर्घटना रिपोर्ट

49.0 किसी भी तरह के दुर्घटना

होने पर, ठेकेदार क्लाइंट को सभी दुर्घटना रिपोर्ट की कॉपी देगा, रिपोर्ट बिना देर किए और उसी समय भेजी जाएगी जब वे किसी दूसरी पार्टी को भेजी जाएंगी।

गैर-प्रकटीकरण खंड

50.0 ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप से बैंक के इंफ़्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/सामग्री वगैरह की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गुप्त रखेगा। ठेकेदार संविदा की विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार नियुक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या तकनीकी पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण नियुक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियुक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार

की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियुक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

51.0 ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधान का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत होने की स्थिति में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।

51.1 सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय शिकायत समिति ध्यान देगी।

51.2 अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

51.3 ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

51.4 ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अधतन सूची देनी होगी।

सीमांत टिप्पणियाँ

52.0 इस दस्तावेज़ और इसके अनुलग्नकों में दिए गए बॉक्स और कैच लाइनों में दिए गए नोट्स केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन्हें किसी भी तरह से इस दस्तावेज़ और इसके अनुलग्नकों की व्याख्या में शामिल नहीं किया जाएगा।

विशेष शर्तें: कार्य की प्रगति

53.0 ठेका मिलने पर, ठेकेदार अपने निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर उपकरण वितरण तिथियों सहित आरंभ और समापन कार्यक्रम की लिखित रूप में पुनः पुष्टि करेगा।

54.0 ठेकेदार व्यक्तिगत इकाइयों और इकाइयों के समूहों के लिए वर्तमान उपकरण वितरण तिथियों और अनुमानित समापन तिथियों को दर्शाते हुए मासिक रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड-V- इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1.	दोष दायित्व अवधि	आभासी समापन प्रमाणपत्र की तारीख से 12 महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 30 दिन
3.	प्रारंभ की तिथि	बैंक से कार्य आदेश / सूचना की तारीख
4.	पूरा होने की तारीख	बैंक से कार्य आदेश / सूचना की तारीख से 30 दिन
5.	की दर से परिसमाप्त क्षति	हर हफ्ते संविदा मूल्य का 0.25%, जो देरी वाले समय की संविदा मूल्य का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
6.	अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्यों का मूल्य	भाग-1 के खण्ड-II-पैरा-22.0 के अनुसार ।
7.	अंतरिम प्रमाणपत्रों को सम्मानित करने की अवधि	1 महीना
8.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर	3% प्रति वर्ष।

नियोक्ता	ठेकेदार
----------	---------

खंड-VI- तकनीकी विनिर्देश और कार्य अनुसूची

1.0 बताए गए काम **कोच्ची स्थित आरबीआई कार्यालय भवन के पिछले हिस्से के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य**, जो बैंक की कार्यालय बिल्डिंग, कोच्ची में ग्राउंड, पहली, दूसरी और तीसरी मंज़िल के पिछले हिस्से के गलियारे में किए जाने हैं। इसे नीचे बताए गए सभी ज़रूरी तकनीकी विनिर्देश और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

2.0 बताई गई स्थान के लिए ज़रूरी लेआउट ड्रॉइंग इस निविदा दस्तावेज़ के बाद के विभाग में मिल सकती हैं।

3.0 वायरिंग 1100V ग्रेड पीवीसी इंसुलेटेड एफआरएलएसएच मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर तार का उपयोग करके उपयुक्त आकार (न्यूनतम 20 मिमी व्यास) के आईएसआई चिह्नित मध्यम-ड्यूटी पीवीसी कंड्यूट में की जाएगी, जिसमें बेंड, टी, जंक्शन बॉक्स आदि जैसे सभी आवश्यक सहायक उपकरण लगे होंगे। वायरिंग को गुप्त/आंशिक रूप से गुप्त/आंशिक रूप से गुप्त/सतही तरीके से किया जाएगा और उपयुक्त मोटाई के सीमेंट प्लास्टर से अच्छी तरह से सील किया जाएगा तथा सभी आवश्यक स्थानों पर आसपास के क्षेत्र से मिलाया जाएगा। सतह को कुशल व्यक्तियों द्वारा चिकनी और समतल सतह फिनिश के लिए तैयार किया जाएगा। यदि मौजूदा गुप्त कंड्यूट अच्छी स्थिति में है, तो बैंक के इंजीनियर की सलाह के अनुसार वायरिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है।

4.0 सभी आपूर्ति और स्थापना कार्य विनिर्देशों के अनुसार और निर्माण रेखाचित्रों के अनुरूप किए जाएंगे तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 (इसके नवीनतम संशोधनों सहित), भारतीय विद्युत अधिनियम (इसके नवीनतम संशोधनों सहित) तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी सभी प्रासंगिक संहिताओं और प्रथाओं (वर्तमान तक संशोधित) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। कार्य किसी भी स्थानीय या अन्य वैधानिक प्राधिकरण के सामान्य या स्थानीय विधानों और विनियमों के प्रावधानों का भी अनुपालन करेगा, जो लागू हो सकते हैं। विद्युत कार्य के ठेकेदार के पास संबंधित राज्य सरकार के विद्युत निदेशालय के लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा प्रमाणित वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस होना चाहिए, जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार के लिए मान्य हो।

- a. किए गए कार्य और बीक्यूक्यू के अनुसार उद्धृत दरें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करेंगी।
- b. डीबी से स्विच बोर्ड तक की सर्किट वायरिंग 2x2.5 वर्ग मिमी + 1x1.5 वर्ग मिमी तार से की जाएगी।
- c. स्विच बोर्ड से फिटिंग (लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, कॉलिंग बेल पॉइंट आदि) तक की सर्किट वायरिंग 3x1.5 वर्ग मिमी तार से की जाएगी।
- d. प्रत्येक लाइटिंग (5A - 6A) सर्किट पर लोड 800 वाट / 8 पॉइंट से अधिक नहीं होगा।
- e. प्रत्येक पावर (15A-16A) सर्किट पर लोड 2000 वाट / 2 पॉइंट से अधिक नहीं होगा।
- f. प्रत्येक लाइटिंग सर्किट (8 पॉइंट / 800 वाट) और 16A पावर सर्किट (2 पॉइंट / 2000 वाट) के मामले में, DB से प्रत्येक पॉइंट के लिए अलग-अलग MCB और पावर सर्किट वायरिंग की

जाएगी। एसी पॉइंट / गीज़र पॉइंट / कोई अन्य आइटम, यदि विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

- g. जहां भी इंसुलेटेड या कवर्ड अर्थिंग कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, वहां उपयुक्त रूप से हरे रंग की इंसुलेशन ब्रेडिंग या कवरिंग होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अर्थिंग कंडक्टर के अलावा किसी अन्य कंडक्टर के लिए हरे रंग का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यक हो, अलग-अलग रंगों के केबल का उपयोग निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए।
- लाल या कोई अन्य रंग (काला या हरा छोड़कर) - फेज या स्विच वायर के लिए
 - काला - न्यूट्रल के लिए
 - हरा - अर्थ के लिए
- h. पाइप वगैरह छिपाने के लिए दीवार को काटना/काटना सिर्फ़ मशीन से किया जाएगा।
- i. 50 mm से ज़्यादा चौड़ी दीवार की चेज़िंग / कटिंग को प्लास्टरिंग में दरार से बचाने के लिए चिकन मेश से फ़िनिश किया जाएगा।
- j. मॉड्यूलर टाइप स्विच / सॉकेट / स्टेप टाइप 2 मॉड्यूलर फैन रेगुलेटर, फैक्ट्री में बने GI मॉड्यूलर बॉक्स और ज़रूरी साइज़ की माउंटिंग प्लेट में, मंज़ूर किए गए मेक के, दीवार में छिपे हुए, स्टैंडर्ड के अनुसार और बताए गए तरीके से।
- k. जंक्शन बॉक्स में सीलिंग रोज़ / कनेक्टर / एंगल बैटन होल्डर, ज़रूरत के हिसाब से माउंटिंग प्लेट / हाइलम शीट / राउंड ब्लॉक का इस्तेमाल करके, मंज़ूर किए गए मेक का, दीवार में छिपाकर, स्टैंडर्ड के अनुसार और बताए गए तरीके से।
- l. फिटिंग के कनेक्शन भी कनेक्टर और फिटिंग के साथ मिलने वाले फ्लेक्सिबल तारों से किए जाएंगे, अगर कोई हों, या फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से सही रेटिंग के फ्लेक्सिबल तारों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- m. दीवार के पंखे / किचन छिमेनी यूनिट वगैरह को जोड़ने के लिए पॉइंट देते समय, सॉकेट और स्विच को अलग-अलग जगहों पर लगे अलग-अलग बॉक्स में रखना चाहिए, सॉकेट सामाग्री की स्थान के पास, और स्विच को पास में आसानी से मिलने वाली सही स्थान पर रखना चाहिए।
- n. समय-समय पर निरीक्षण करने और ज़रूरत पड़ने पर तारों को हटाने में आसानी के लिए सही निरीक्षण बॉक्स दिए जाने चाहिए। इनमें निरीक्षण बॉक्स कवर दिए जाने चाहिए। सभी आउटलेट, जैसे स्विच, वॉल सॉकेट, वगैरह छिपी हुई वायरिंग के मामले में फ्लश माउंटिंग टाइप के होते हैं। आउटलेट बॉक्स को दीवार के साथ फ्लश माउंट किया जाना चाहिए।

5.0 ठेकेदार जो काम करेगा, उसमें, जब तक कुछ और न बताया गया हो, नीचे दी गई चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन सिर्फ़ यही नहीं। बताई गई दर में ये भी शामिल होंगी।

- a. सभी श्रम, सामग्री, औजार, संयंत्र, निर्माण उपकरण, पर्यवेक्षण, सेवाएं, सामग्री, सहायक सामग्री, परिवहन आदि।
- b. कार्य के लिए आवश्यक वस्तुओं/सामग्रियों पर कोई भी परीक्षण।
- c. बोर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन (BoQ) वस्तुओं के निर्माण और स्थापना के संबंध में आवश्यक कोई भी श्रम, सामग्री, औजार और निर्माण उपकरण।
- d. आवश्यकतानुसार मचान की आपूर्ति, व्यवस्था और स्थापना तथा कार्य के बाद उसे हटाना।
- e. कार्य अनुसूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/विचलन की सूचना कार्य प्रारंभ होने से पहले बैंक के अभियंता को विधिवत दी जाएगी और उनसे अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- f. कार्य निष्पादन से पहले सामग्री/उपकरणों के नमूने बैंक से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
- g. ठेकेदार कार्य अनुसूची के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त विद्युत निरीक्षक/आपूर्ति प्राधिकरण को सूचित करने और आवश्यक परमिट/अनुमोदन (बैंक को सूचित करने के बाद) प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि सभी कार्य उनके अनुमोदन/परीक्षण में सफल हों।
- h. उन सभी आकस्मिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना जो प्रदर्शित या निर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन मानकों/अनुसूची/वस्तुओं/कार्य के विनिर्देशों के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक हैं।
- i. यदि कोई क्षतिग्रस्त सिविल कार्य हो तो उसकी मरम्मत करना।
- j. कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक पूर्व-बिछाई गई पाइपलाइन में धातु/पीवीसी पाइपलाइन और सहायक उपकरण लगाना, खांचे खोदना और काटना आदि सहित आवश्यक संशोधन करना।
- k. बैंक के इंजीनियर के साथ सहमति के अनुसार इस कार्य से उत्पन्न मलबे की नियमित सफाई करना। यदि यह बैंक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो मलबे की सफाई होने तक फर्म को देय भुगतान रोका जा सकता है / मलबे को हटाने पर हुए व्यय (अन्य एजेंसियों के माध्यम से) की वसूली ठेकेदार से देय भुगतान में उचित कटौती करके की जा सकती है।
- l. कार्य के चालू करने के लिए स्थानीय विद्युत वितरण प्राधिकरण के साथ कोई भी संपर्क कार्य ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा और निविदा कार्य से संबंधित किसी भी सरकारी प्राधिकरण/विद्युत प्राधिकरण को देय कोई भी राशि ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई मूल रसीद/शुल्क प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.0 विशेष शर्तें:

- a. यह विनिर्देश तकनीकी विवरण, अनुसूची, लेआउट और एसएलडी के अनुसार विद्युत प्रणाली की सामग्री आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और चालू करने को कवर करता है। लागू प्रावधान, मानक और अनुबंध की शर्तें कार्य और उसके निष्पादन पर बाध्यकारी होंगी।
- b. कामगारों को परिसर में रहने की अनुमति नहीं होगी।
- c. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति (3-फेज, 415V / सिंगल-फेज 240V, 50 हर्ट्ज एसी) और पानी साइट पर उपलब्ध आपूर्ति से निःशुल्क लिया जा सकता है।
- d. इच्छुक निविदाकर्ता बैंक के किसी भी कार्य दिवस पर विभाग से निविदा रेखाचित्र, विनिर्देश आदि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
- e. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबा/धूल या कोई भी अपशिष्ट बैंक के अभियंता द्वारा आवश्यकतानुसार और निर्देशानुसार साइट से साफ और हटाया जाएगा।
- f. ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान एक योग्य पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। साइट पर कोई भी कार्य बिना पर्यवेक्षण के नहीं किया जाएगा।
- g. निविदाकर्ता केवल अनुमोदित ब्रांडों की सामग्रियों का ही उपयोग करेगा; किसी भी प्रकार के विचलन की सूचना बैंक को विधिवत दी जाएगी और बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- h. कार्य स्थल पर चल रहे सिविल कार्यों के साथ उचित समन्वय में किया जाना चाहिए, जिससे निवासियों को कोई असुविधा न हो।
- i. काम के दौरान ठेकेदार की वजह से बैंक की किसी भी प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान को उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा।
- j. काम मिलने के बाद बीजक जमा करते समय, ठेकेदार को काम की कीमत में शामिल GST राशि साफ़-साफ़ बताना होगा।

7.0 जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, कार्य, डिजाइन, कारीगरी, सामग्री की गुणवत्ता और गुणधर्म, परीक्षण की कोई भी विधि आदि से संबंधित सभी पहलुओं पर नवीनतम और प्रासंगिक बीआईएस कोड लागू होगा।

8.0 सामग्री इस निविदा में दी गई अनुमोदित ब्रांडों की सामग्री सूची के अनुसार अनुमोदित ब्रांड और गुणवत्ता की होनी चाहिए। यदि ऊपर उल्लिखित सामग्री सूची में किसी उत्पाद के दो या अधिक वैकल्पिक ब्रांड/ब्रांड निर्दिष्ट हैं, तो कार्य में किस ब्रांड/ब्रांड का उपयोग किया जाएगा, इसका निर्णय बैंक द्वारा लिया जाएगा, और ठेकेदार चयनित ब्रांड/ब्रांड को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराएगा।

9.0 यदि सामग्री अनुपलब्धता के कारण सूचीबद्ध निर्माताओं के अलावा किसी अन्य निर्माता से प्राप्त करनी हो, तो बैंक के अभियंता से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, जिसके साथ आवश्यक मानक को पूरा

करने वाले प्रासंगिक परीक्षण प्रमाण पत्र भी संलग्न होने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो सलाहकार द्वारा निर्देशित अतिरिक्त परीक्षण भी ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर किए जाएंगे। ठेकेदार को ऑर्डर देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूने के लिए बैंक से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और स्वीकृत नमूने को बैंक द्वारा सत्यापन के लिए साइट पर उचित तरीके से सुरक्षित रखना होगा। मानक रूप से खरीदी गई वस्तुओं के लिए, यदि अनुसूची में उल्लिखित आकारों में कोई विसंगति हो, तो सूचीबद्ध फर्मों द्वारा निर्मित आकार मान्य होंगे, बिना किसी वित्तीय समायोजन के। कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्रियां आईएसआई द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता की होनी चाहिए और यदि यह अनुमोदित न हो, तो आईएस विनिर्देश के अनुरूप होनी चाहिए।


स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर


तारीख:

खंड-VII- तकनीकी चित्र

Passage Area- GF- OB- Main Layout




Passage Area- GF- OB- Points




Icon	Description
	5A / 6A Independent Point
	5A / 6A Half Point
	16A Independent Point
	AC Point (16A)
	TV Point
	Switch Board
	Distribution Board

Passage Area- GF- OB- Fittings




Icon	Description
	2ft. LED fitting
	LED Bulb- B-22
	Surface-type LED Fitting
	BLDC Ceiling Fan
	PVC Modular Exhaust Fan
	Switch Board
	Distribution Board

Passage Area- 1F- OB- Main Layout




Passage Area- 1F- OB- Points




Icon	Description
5AI	5A / 6A Independent Point
5AH	5A / 6A Half Point
16A	16A Independent Point
AC	AC Point (16A)
TV	TV Point
SB	Switch Board
▬	Distribution Board

Passage Area- 1F- OB-Fittings




Icon	Description
	2ft. LED fitting
	LED Bulb- B-22
	Surface-type LED Fitting
	BLDC Ceiling Fan
	PVC Modular Exhaust Fan
	Switch Board
	Distribution Board

Passage Area- 2F- OB- Main Layout




Passage Area-2F-OB- Points




Icon	Description
5AI	5A / 6A Independent Point
5AH	5A / 6A Half Point
16A	16A Independent Point
AC	AC Point (16A)
TV	TV Point
SB	Switch Board
▬▬▬	Distribution Board

Passage Area- 2F- OB- Fittings




Icon	Description
	2ft. LED fitting
	LED Bulb- B-22
	Surface-type LED Fitting
	BLDC Ceiling Fan
	PVC Modular Exhaust Fan
	Switch Board
	Distribution Board

Passage Area- 3F- OB- Main Layout




Passage Area- 3F- OB- Points



Icon	Description
5AI	5A / 6A Independent Point
5AH	5A / 6A Half Point
16A	16A Independent Point
AC	AC Point (16A)
TV	TV Point
SB	Switch Board
▬	Distribution Board

Passage Area- 3F- OB- Fittings



Icon	Description
	2ft. LED fitting
	LED Bulb- B-22
	Surface-type LED Fitting
	BLDC Ceiling Fan
	PVC Modular Exhaust Fan
	Switch Board
	Distribution Board

अनुमोदित सामग्रियों की सूची

वस्तु	स्वीकृत ब्रांड
एफआरएलएसएच पीवीसी इंसुलेटेड मल्टी स्ट्रैंडेड कॉपर वायर	एफआरएलएसएच (ज्वाला मंदक कम धुआँ) रेटेड फिनोलेक्स/ पॉलीकैब/ आरआर-केबल
आईएस प्रमाणित पीवीसी नलिकाएं	प्रेसिजन/ मोडिस/ या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
मोड़, जुड़नार, आदि.	आईएस प्रमाणित, बैंक द्वारा अनुमोदित।
स्विच, सॉकेट आदि सहायक उपकरण के साथ।	मॉड्यूलर प्रकार एंकर पेंटा
डीबी, आरसीसीबी, एसपीएमसीबी आदि।	लेग्रैंड / लॉरिट्ज़ नुडसेन / सीमेंस (बैंक के अनुमोदन से)
समाक्षीय / टेलीफोन केबल	फिनोलेक्स / पॉलीकैब / आरआर-केबल / डी-लिंक / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
48" / 1200 मिमी बीएलडीसी सीलिंग पंखे	एटमबर्ग / ओरिएंट / क्रॉम्पटन / हैवेल्स / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
16" / 400 मिमी बीएलडीसी दीवार पर लगे पंखे	एटमबर्ग / ओरिएंट / क्रॉम्पटन / हैवेल्स / बजाज / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
16" / 400 मिमी दीवार पर लगे पंखे	ओरिएंट / क्रॉम्पटन / हैवेल्स / बजाज / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
6" / 8" / 10" / 12" एग्जॉस्ट फैन	क्रॉम्पटन / ओरिएंट / लूकर / अल्मोनार्ड / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
4' / 2' एलईडी फिटिंग	फिलिप / क्रॉम्पटन / लूकर / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
अन्य एलईडी फिटिंग और एलईडी बल्ब।	फिलिप / क्रॉम्पटन / लूकर / या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।
पंप और मोटर	किलोस्कर/क्रॉम्पटन/या बैंक द्वारा अनुमोदित समकक्ष।

टिप्पणी:

ए) उपर्युक्त अनुमोदित ब्रांडों के अलावा, किसी अन्य समतुल्य ब्रांड का उपयोग केवल बैंक के अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

बी) ठेकेदार को कार्य में उपयोग करने से पहले बैंक की स्वीकृति के लिए 2-3 प्रकार के नमूने प्रस्तुत करने होंगे।

सी) कार्य में केवल बैंक द्वारा अनुमोदित सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड-IX- वाणिज्यिक शर्तों की चेकसूची

क्रम संख्या	विवरण	बैंक की शर्तें	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)
1	निविदा की वैधता	भाग-I खुलने की तिथि से 90 दिन।	
2	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आवश्यक नहीं।	
3	काम के लिए भुगतान की शर्तें।	निविदा के <u>भाग-I के खंड-II-पैरा-21.0 के अनुसार</u> ।	
4	तकनीकी निर्देश	निविदा के <u>भाग-I के विभाग-VI के अनुसार</u> ।	
5	वारंटी अवधि / डीएलपी	काम के लगभग पूरा होने की तारीख से 12 महीने ।	
6	बिक्री के बाद सेवा	वारंटी अवधि (DLP) के दौरान फ्री, जिसमें ज़रूरी होने पर किसी भी सामाग्री / असेंबली / सामाग्री / सॉफ्टवेयर को बदलना भी शामिल है।	
7	समापन अवधि	बैंक से कार्य आदेश / जानकारी मिलने की तारीख से 30 दिन।	
8	परिसमापन हर्जाना	खंड-V के अनुसार- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट।"	

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:



भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

www.rbi.org.in

आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत
कार्यभाग-II
(मूल्य बोली)

मूल्यरहित मात्राओं का बिल

क्र.	विवरण	इकाई	मात्रा	दर
1	निविदा दस्तावेज़ में बताए गए ज़रूरी स्टैंडर्ड, तकनीकी विनिर्देश, काम का दायरा वगैरह के हिसाब से वायरिंग और नीचे दी गई चीज़ों का इंतज़ाम किया जाएगा।			
1.1	एग्जॉस्ट फैन पॉइंट / एक लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट, जो एक 6A, मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होता है, लेकिन वायरिंग दीवार / सीलिंग में पहले से मौजूद छिपे हुए पाइप से की जाएगी, (वायरिंग DB से स्विच / स्विच बोर्ड तक - 2x2.5 sq. mm. + 1x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर, और स्विच से लाइट / फैन पॉइंट तक - 3x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर की जाएगी) स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरी की जाएगी।	संख्या	68	
1.2	एक 6A, मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होने वाले दो लाइट पॉइंट (वायरिंग DB से स्विच / स्विच बोर्ड तक - 2x2.5 sq. mm. + 1x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर, और स्विच से लाइट पॉइंट तक - 3x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर की जाएगी) स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए जाएंगे।	संख्या	28	
1.3	एक 6A, मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होने वाले तीन लाइट पॉइंट (वायरिंग DB से स्विच / स्विच बोर्ड तक - 2x2.5 sq. mm. + 1x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH	संख्या	9	

	वायर, और स्विच से लाइट पॉइंट तक - 3x1.5 sq. mm. कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर की जाएगी) स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए जाएंगे।			
1.4	6A इंडिपेंडेंट स्विच-सॉकेट पॉइंट, 2x2.5 sq. mm + 1x1.5 sq. mm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर का इस्तेमाल करके वायर किया गया है, जिसमें 1 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच और 1 2/3 और पिन सॉकेट है, लेकिन वायरिंग दीवार/छत में पहले से मौजूद छिपे हुए कंड्यूट से की गई है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	18	
1.5	6A हाफ पॉइंट (स्विच-सॉकेट पॉइंट) को 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच और मौजूदा स्विच बोर्ड पर मॉड्यूलर प्लेट के साथ 1 नंबर 2/3 और पिन सॉकेट का इस्तेमाल करके वायर किया गया है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	54	
1.6	16A इंडिपेंडेंट स्विच-सॉकेट पॉइंट, जिसे 2x2.5 sq. mm + 1x1.5 sq. mm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर का इस्तेमाल करके वायर किया गया है, जिसमें 1 नंबर 16A मॉड्यूलर टाइप स्विच और 1 नंबर 2/3 और पिन सॉकेट है, लेकिन वायरिंग दीवार/छत में पहले से मौजूद छिपे हुए कंड्यूट से की गई है, स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरी की गई है।	संख्या	8	
1.7	AC पॉइंट को 2x4.0 sq. mm + 1x2.5 sq. mm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLSH वायर के साथ 6 पिन, 16A मॉड्यूलर टाइप MCB / स्विच, सॉकेट वगैरह का इस्तेमाल करके वायर किया गया है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	4	
2	स्विच बोर्ड पर सीलिंग फैन के लिए 2M स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर (100W) की आपूर्ति और फिक्सिंग।	संख्या	11	
3	टीवी पॉइंट: सही साइज़ के ISI मार्क वाले मज़बूत PVC पाइप के अंदर कोएक्सियल टीवी केबल के साथ टीवी केबल पॉइंट देना और देना, जैसा बताया गया है, फ्लैट के मौजूदा केबल एंटी पॉइंट तक बढ़ाया गया है, साथ में ज़रूरी एक्सेसरीज़ जैसे बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स वगैरह भी, छिपे	संख्या	4	

	हुए तरीके से। दर में दीवार में छिपे 2M / सही साइज़ के GI बॉक्स पर मॉड्यूलर टाइप का टीवी सर्किट लगाना, अगर ज़रूरत हो तो डमी प्लेट देना, बिछाए गए पाइप से नया कोएक्सियल टीवी केबल (जैसा बताया गया है, अंदर के कमरे से फ्लैट के मौजूदा केबल एंट्री पॉइंट तक) पहुंचाना शामिल होगा, यह पक्का करना कि लाइन दोनों एंड पॉइंट पर खत्म हो जाए।			
4	कच्ची बिजली डीबी: 6-तरफ़ा, तीन-चरण, फैक्टरी में निर्मित, IP43 सुरक्षा रेटेड, डबल डोर मेटैलिक क्षैतिज डीबी (विद्युत वितरण बॉक्स, टीपीएन डीबी) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, और कमीशनिंग साइट पर गुप्त तरीके से, जिसमें मौजूदा कच्ची बिजली इनकमिंग कनेक्शन की समाप्ति शामिल है, लूप कनेक्शन, न्यूट्रल, पृथ्वी के साथ पूरा किया गया, प्रासंगिक मानकों के अनुसार और निर्देशानुसार सभी आवश्यक सहायक उपकरण, फिटिंग और पुर्जों का उपयोग किया गया। दरों में इनकमिंग- 40A, 30mA संवेदनशीलता 4P RCCB + 40A 4P MCB, और आउटगोइंग ब्रेकर- 20A SP MCB की 3 संख्या, 16A MCB की 3 संख्या और 6A SP MCB की 5 संख्या की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कनेक्टिंग और कमीशनिंग शामिल होगी।	संख्या	4	
5	नीचे दी गई लाइट फिटिंग / सीलिंग फैन / एग्जॉस्ट फैन की सप्लाय, अधिष्ठापन टेस्टिंग और कमीशनिंग, अधिष्ठापन के लिए ज़रूरी सभी हार्डवेयर सामग्री के साथ।			
5.1	BLDC सीलिंग फैन (बिना रिमोट के, 1200mm)	संख्या	11	
5.2	मॉड्यूलर टाइप PVC एग्जॉस्ट फैन लूवर के साथ (150mm)	संख्या	18	
5.3	2ft LED मिरर लाइट फिटिंग (~10W)	संख्या	15	
5.4	LED राउंड सरफेस फिटिंग (~10W)	संख्या	15	
5.5	LED राउंड सरफेस फिटिंग (~15W)	संख्या	31	
5.6	LED राउंड सरफेस फिटिंग (~18W)	संख्या	26	
5.7	LED 4-फीट x 1-फीट सरफेस फिटिंग (~40W) (फिटिंग- क्रॉम्पटन मेक 4-फीट x 1-फीट 40W इनडोर लाइट (मॉडल- LCTLSNE-40-CDL), या इसके बराबर).	संख्या	23	
5.8	LED बल्ब (9W) सही B-22 बैटन होल्डर में (स्ट्रेट / एंगल)	संख्या	12	

6	<p>स्पीक केबलिंग: PVC इंसुलेशन, ट्विस्टेड कोर, PVC आउटर जैकेट/शीथ वगैरह के साथ 1.5 sq. mm, 2-कोर, एनील्ड टिन्ड कॉपर कंडक्टर स्पीकर केबल की आपूर्ति और बिछाना, सही साइज़ के मीडियम ड्यूटी PVC कंड्यूट से छिपे हुए/थोड़े खुले/खुले तरीके से वायर करना, मौजूदा केबल एंटी पॉइंट से प्रस्तावित स्पीकर लोकेशन तक ले जाना, निविदा दस्तावेज़ में बताए गए ज़रूरी स्टैंडर्ड, तकनीकी विनिर्देश, काम का दायरा वगैरह के हिसाब से वायरिंग करना। काम के दायरे और दर में सामग्री के साथ एंड्स को खत्म करने के लिए तैयार करना शामिल होगा, जिसमें सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग और स्पेयर (लगभग 25 mtrs प्रति फ्लोर) का इस्तेमाल करना शामिल होगा।</p>	मीटर	100	
7	<p>मोशन सेंसर: टॉयलेट एरिया में लाइट फिटिंग के ऑटोमैटिक कंट्रोल के लिए पैसिव इन्फ्रारेड (PIR) बेस्ड सीलिंग माउंटेड मोशन सेंसर / ऑक्ज्यूपेंसी सेंसर मॉड्यूल की सप्लाई, अधिष्ठापन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। इस काम में सेंसर यूनिट को लोकेशन पर लाइटिंग सर्किट से जोड़ना शामिल है, जिसमें सही लंबाई की वायरिंग, कनेक्टर, उनके कनेक्शन, एनर्जाइज़ेशन और संचालन के लिए ज़रूरी कोई भी दूसरी एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जो निविदा दस्तावेज़ में बताए गए ज़रूरी स्टैंडर्ड, तकनीकी विनिर्देश, काम के दायरे वगैरह के हिसाब से किया जाएगा। काम के दायरे और दर में सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके सामग्री के साथ एंड्स को खत्म करने के लिए तैयार करना शामिल होगा। इसे अलग-अलग फ्लोर लेवल पर हर लेडीज़ / जेंट्स टॉयलेट में मेन एरिया लाइट से जोड़ा जाएगा।</p>	संख्या	9	
8	<p>फोटो सेंसर: कॉरिडोर पैसेज एरिया में लाइट फिटिंग के ऑटोमैटिक कंट्रोल के लिए वेदर-प्रूफ एम्बिएंट लाइट सेंसर / डेलाइट सेंसर / फोटोसेल / फोटो सेंसर मॉड्यूल की सप्लाई, अधिष्ठापन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। इस काम में सेंसर यूनिट को लोकेशन पर लाइटिंग सर्किट से जोड़ना शामिल है, जिसमें सही लंबाई की वायरिंग, कनेक्टर, उनके कनेक्शन, एनर्जाइज़ेशन और संचालन के लिए ज़रूरी कोई</p>	संख्या	4	

	भी दूसरी एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जो निविदा दस्तावेज़ में बताए गए संबंधित स्टैंडर्ड, तकनीकी विनिर्देश, काम के दायरे वगैरह के अनुसार किया जाएगा। काम के दायरे और दर में सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग और स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके, सामग्री के साथ एंड्स को टर्मिनिव्ल करने के लिए तैयार करना शामिल होगा। इसे हर फ्लोर लेवल पर पैसेज एरिया लाइट से जोड़ा जाएगा। साथ ही, सेंसर भाग को एंड यूज़ एरिया में एम्बिएंट लाइट लेवल को मापने के लिए सही स्थान पर इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि कंट्रोलर मॉड्यूल को साइट की कंडीशन और ज़रूरत के हिसाब से मेन स्विच बोर्ड के पास इंस्टॉल किया जा सकता है।			
9	मौजूदा वायरिंग / एनक्लोजर बॉक्स / स्विच बॉक्स / लाइट फिटिंग वगैरह हटाने का चार्ज।	लॉट	1	
10	पुरानी वायरिंग, कंड्यूट, सीलिंग फैन, LED फिटिंग, एग्जॉस्ट फैन, स्विच गियर वगैरह वापस खरीदें।	लॉट	1	
	कुल योग (जीएसटी सहित)			

टिप्पणी:

- कृपया क्र.सं.1 से 10 तक हर आइटम के लिए जीएसटी को छोड़कर प्रति यूनिट दर बताएं। सिस्टम स्वयं जीएसटी गणना करेगा और इस सूत्र का इस्तेमाल करके अंतिमराशि दिखाएगा-
क्रम संख्या i के लिए राशि = (क्रम संख्या i के लिए दर) * (क्रम संख्या i के लिए मात्रा)
***1.18.**
- जीएसटी सहित कुल रकम इस सूत्र से गणना की जाएगी-
(क्रमांक 1 के लिए राशि) + + (क्रमांक 9 के लिए राशि) - (क्रमांक 10 के लिए राशि)
- दर सिर्फ ऑनलाइन मूल्य बोली में ही उद्धरण किए जाने हैं। 1000 कैरेक्टर की लिमिट होने की वजह से, पूरी जानकारी नहीं दी जा सकी, और दी गई जानकारी छोटी है। ऑनलाइन दर उद्धरण करने से पहले, सभी ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ के भाग-II में दिए गए मूल्यरहित मात्राओं का बिल (BoQ) में हर आइटम की पूरी जानकारी पढ़नी होगी। निष्पादन और दर के मकसद से, निविदा दस्तावेज़ के भाग-II में मात्रा के बिल में दी गई जानकारी को लागू किया जाएगा।
- बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे भाग-II में आइटम के लिए सिर्फ मूल दर बताएं, यानी भाग-II में आइटम के दर जीएसटी के बिना बताए जाने चाहिए। हालांकि, मूल्य बोली में सभी आइटम पर लागू दर पर जीएसटी लगेगा, और पूरी कीमत (यानी, मूल्य बोली के क्र. सं.पर

बताए गए आइटम के लिए सफल बोलीर द्वारा बताया गया मूल दर और उस पर लागू जीएसटी) को काम की कुल संविदा कीमत माना जाएगा। बताए गए दर में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. ऊपर दिया गया मूल्य बोली पत्र सिर्फ उदाहरण के लिए है। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे भाग-1 निविदा दस्तावेज़ के साथ मूल्य बोली अपलोड न करें। मूल्य सिर्फ एमएसटीसी पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाग-1 निविदा दस्तावेज़ के साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने पर निविदा अयोग्य हो जाएगा।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए मुख्तारनामा का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
परिसर अनुभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

महोदय,

कार्य का नाम: आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।

हम (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री (मुख्तारनामा धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और का पद धारण कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करें, जिनमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को सूचना / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्वारा इस मुख्तारनामा के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य और चीजें हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

श्री/सुश्री के हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित हैं:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर:

बोली लगाने वाले का नाम, स्टाम्प/सील:

नोट: मुख्तारनामा पर विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए, और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई नोटरीकृत मुख्तारनामा अपरिवर्तनीय होगी।

ठेकेदार द्वारा साइट दौरा के लिए वचन पत्र का पत्र

(काम को समझने के लिए निविदा देने वाले के साइट दौरा के बारे में)

सेवा में,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
परिसर अनुभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: **आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।**

हम,, उपरोक्त कार्य के लिए निविदाकर्ता, एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि, हमने साइट का दौरा किया है और परिसर में किए जाने वाले कॉर्क के उचित विवरण और दायरे को समझ लिया है।

भवदीय,

(.....)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी का नाम और पता कंपनी की सील के साथ)

स्थान:

तारीख:

बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का पत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
परिसर अनुभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

महोदय,

कार्य का नाम: आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।

संदर्भ : एनआईटी / विज्ञापन संख्या, दिनांक
.....

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, जिसका केन्द्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "वह निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा दस्तावेज़ में बताए गए नियम और शर्तों पर निविदा मंगाए हैं।

निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि निविदाकर्ता को बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में ₹ (रुपये मात्र) की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

मेसर्स (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता), (जिन्हें आगे "निविदाकर्ता / बोलीदाता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक / घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा / बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं, और उन्होंने हमें ईएमडी के संबंध में ₹ (रुपये केवल) की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

अब यह गारंटी साक्षी है

1.0 हम, (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, हमारे उत्तराधिकारी, हस्ताक्षर के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त निविदाकर्ता के लिए भी बाध्यकारी होगा; आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के ₹ (रुपये

..... केवल) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत निविदाकर्ता के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देनदारी ₹ (रुपये केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी मानते हैं कि हम यह पक्का करेंगे कि ऊपर बताई गई रकम ₹ (सिर्फ रुपये से ज्यादा नहीं होगी, और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ आरबीआई से लिखित में नोटिस मिलने पर मांग करने पर भुगतान कर देंगे, जिसमें बताया गया हो कि यह रकम उन्हें मिलनी है और हम कोई और सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए पक्का और बाइंडिंग होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम ऊपर बताए गए नोटिस के मिलने की तारीख से एक हफ्ते के अंदर आरबीआई द्वारा मांग की गई रकम का भुगतान करने का वादा करते हैं।

3.0 हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या करारों या दूसरी समझ से अलग होगी।

4.0 आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि-

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा में और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों के पालन में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई की तरफ से निविदा देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या उससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ निविदा देने वालों द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा करने में नाकाम रहने की हालत में, हमारी तरफ से ₹ (सिर्फ रुपये) से ज्यादा रकम का भुगतान करने से ही पूरी होगी।

ख) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देनदारी ₹ (रुपये मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे ग्राहक/कंपनियों की तरफ से काम के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे उक्त घटकों के संविधान में परिवर्तन या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से महीने) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई आगे की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो इसमें निहित हैं।

e) इन शर्तों के तहत हमारी देनदारी तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इन शर्तों का नवीनीकरण को या उस दिन को नहीं किया जाता जब हमारे उक्त

मसौदा करार के अंतर्नियम

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह करार भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, लिसी जंक्शन, कलूर, कोच्ची- 682018,)जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा गया (और दूसरे पक्ष)जिसे इसके बाद " ठेकेदार " कहा जाएगा (के बीच निष्पादित किया गया।

जहां बैंक, **आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य** में संशोधन और विनिर्दिष्ट विशिष्ट काम को पूरा करने की इच्छा रखते हैं"

तथा जबकि कथित विनिर्देशों, चित्रों और मात्राओं की अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

तथा जबकि ठेकेदार यहां निर्दिष्ट शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और करार की शर्तों तथा करार की शर्तों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन और निष्पादित करने पर सहमत हुए हैं) इसके बाद इन सभी शर्तों को एक साथ मिलाकर" शर्तें "कहा जाएगा (तथा उक्त चित्र और / अथवा में दर्शाए गए विशिष्टता में वर्णित कार्यों और उसमें प्रासंगिक दर की मात्रा अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें उस राशि के बराबर राशि निर्धारित की गई है अथवा इस तरह के अन्य योग के तहत देय होगा) इसके बाद इसे "करार राशि "कहा जाएगा।

अब निम्नलिखित सहमति बनी है :

1.0 कथित करार में विनिर्दिष्ट समय और तरीके के अनुसार उक्त करार राशि) -----/ -) का भुगतान किया जाएगा बशर्तें की कथित करार का निष्पादन किया गया हो तथा कथित चित्र और विनिर्देशों के वर्णन और मात्रा की अनुसूची के अनुसार कार्य को पूरा किया गया हो।

2.0 नियोक्ता ठेकेदार को उपर्युक्त करार में विनिर्दिष्ट समय और तरीके के अनुसार कथित करार राशि अथवा ऐसे अन्य देय राशि का भुगतान करेगा।

3.0 उक्त करार में शब्द " आर्किटेक्चर "से मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, परिसर विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई अभिकल्पना करना है ।

4.0 भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य की पर्यवेक्षण, बिलों का प्रमाणीकरण, करार और करार के नियमों और शर्तों के कार्यान्वयन (की सीधे निगरानी और व्यवस्था करेगा।

5.0 कथित शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा तथा इसमें निहित पार्टियां इसका पालन करेंगे और कथित शर्तों के अनुसार अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और कथित शर्तों में निहित के अनुसूचियों अपने अपने कार्य को निष्पादित करेंगे। उक्त शर्तें, परिशिष्ट और उससे संबंधित विभिन्न अनुसूचियां तथा निविदा के भाग-1 के खुलने की तिथि से लेकर निविदा की स्वीकृति के

पत्र की तिथि तक बैंक और फर्म के बीच हुए सभी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इसमें शामिल पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, स्वयं को उक्त शर्तों के अधीन करेंगे और उक्त शर्तों में निहित अपने-अपने करार का निष्पादन करेंगे।

6.0 इसमें निहित योजना, करार तथा दस्तावेज़ इस करार के आधार को निर्मित करेंगे।

7.0 यह करार एक मुश्त करार नहीं है और न ही कोई पीस वर्क करार है **आरबीआई कार्यालय भवन, कोच्ची में पीछे के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य** " के नवीनीकरण "के कार्य से संबंधित करार है जिसके लिए भुगतान कथित शर्तों में निहित प्रावधानों अथवा संभावित मात्रा और दर सूची में निहित दर के अनुसार मात्रा के वास्तविक माप के अनुसार किया जाएगा।

8.0 ठेकेदार सिविल कार्यों से संबंधित सभी कार्यों, सैनिटरी काम और फिटिंग लगाना, स्थायी जल आपूर्ति, विद्युत प्रतिष्ठान, फिटिंग और अन्य सहायक कार्यों को निर्धारित शर्तों में निर्धारित तरीके से पूरा करना होगा तथा ऐसे कार्य को पूरा करने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि दीवार, फर्श आदि को कोई क्षति नहीं हुई हो।

9.0 नियोक्ता के समक्ष किसी भी काम को जोड़ने या छोड़कर या इस करार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किए गए कार्य के हिस्सों को छोड़कर काम के चित्रों और प्रकृति को संशोधित करने का रहेगा।

10.0 समय इस करार का मूल है और ठेकेदार यह साइट सौंपने के तुरंत बाद या कथित शर्तों में दिए गए औपचारिक कार्य आदेश/पत्र को स्वीकारने की तारीख से दसवें दिन से, जो भी बाद में हो, कार्य प्रारंभ करेगा और बैंक से कार्य आदेश/सूचना प्राप्त होने की तिथि से **30** दिनों के भीतर संपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा, बशर्ते कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से लिखित रूप में (अर्थात् करार के माध्यम से या पत्रों/ईमेल के आदान-प्रदान द्वारा) समय सीमा में विस्तार कर सकते

11.0 कार्य पूर्ण होने के बाद, कार्य की पूंजी लागत के **5%** के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में रोक ली जाएगी और इसे **1 वर्ष की डीएलपी अवधि के बाद जारी किया जा सकता है।**

बैंक के पास निविदा में निर्धारित डीएलपी की शर्तों और नियमों के असंतोषजनक पालन की स्थिति में, प्रतिबद्ध अवधि (एक वर्षीय डीएलपी) के दौरान किसी भी समय ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि की कटौती करने का अधिकार सुरक्षित है।

इस करार की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को, यदि राशि अनुमति देती है, तो प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है, और ठेकेदार को, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो जाए, कटौती के दस दिनों के भीतर काटी गई राशि का नकद भुगतान करना होगा।

12.0 वारंटी / दोष दायित्व अवधि (डीएलपी)

आपूर्ति किए गए उपकरण/प्रणाली पर संपूर्ण प्रणाली के लिए आभासी पूर्णता की तिथि से 12 महीने की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) तक सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर प्रणाली/उप-असेंबली में पाए गए किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ठीक/बदला जाएगा।

कार्य पूर्ण होने के बाद, कार्य की पूंजी लागत के 5% के बराबर राशि सुरक्षा जमा के रूप में रोकी जाएगी और इसे 1 वर्ष की डीएलपी अवधि के बाद जारी किया जा सकता है। यह राशि डीएलपी की शर्तों और दायित्वों के उचित अनुपालन के लिए बैंक द्वारा रखी जाएगी और उक्त डीएलपी के सफल समापन के बाद बिना किसी ब्याज के बैंक द्वारा जारी की जाएगी।

13.0 इस संविदा के तहत नियुक्ता द्वारा सभी भुगतान सिर्फ कोच्ची में किए जाएंगे।

14.0 इस करार से उत्पन्न या किसी भी प्रकार से जुड़े विवाद को कोच्ची में उत्पन्न हुआ माना जाएगा और सिर्फ कोच्ची ---के न्यायालयों को इनके निपटारे का क्षेत्राधिकार होगा।

15.0 इस करार के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है तथा पूरी तरह से समझ लिया गया है। ठेकेदार निविदा की गई मात्रा से ज़्यादा के भुगतान का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर से खास लिखित निर्देश न मिले।

16.0 इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार को मिलने वाली कोई भी जानकारी, सामग्री तथा बैंक के बुनियादी ढांचा/प्रणाली/उपस्करों इत्यादि के संबंध में मिलने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण किसी अन्य पक्षकार को नहीं करेगा तथा हमेशा इसे अतिगोपनीय बनाए रखेगा। लागू कानून का अनुपालन करने या संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होने की स्थिति को छोड़कर ठेकेदार इस संविदा के ब्यौरों को निजी दायरे में और गोपनीय रखेगा। नियुक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार किसी व्यापारिक या तकनीकी पेपर में या अन्यत्र कार्य के विवरण को न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा और न ही इसका प्रकटीकरण करेगा। किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियुक्ता को हुई हानि के लिए ठेकेदार नियुक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन न करना ठेकेदार द्वारा संविदा भंग माना जाएगा और नियुक्ता हुई क्षति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

17.1 इस करार के अधीन गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न किए जाने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा।

17.2 प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार का दायित्व इस करार के समाप्त होने या किसी भी कारण से समाप्त किए जाने तक बना रहेगा।

18.0 (ठेकेदार/एजेंसी" कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न) निवारण, निषेध एवं निदान (अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

18.1 बैंक के परिसर में उसके कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत आती है तो ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायत के लिए ठेकेदार/एजेंसी उस अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। *

18.2 बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार का कोई पीड़ित कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत करता है तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा इसका संज्ञान लिया जाएगा।

18.3 ठेकेदार के कर्मचारियों यदि किसी ऐसी घटना में शामिल होते हैं जिसमें आर्थिक मुआवजा देना पड़े तो यह मुआवजा ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, ठेकेदार के कर्मचारी के विरुद्ध यौन हिंसा का मामला साबित होने पर बैंक के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत देना।

18.4 ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे संबंधित मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

18.5 ठेकेदार को बैंक के परिसर में तैनात किए गए अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराना होगा।

नियोक्ता और ठेकेदार ने इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

यदि ठेकेदार एक साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति हो

नियोक्ता इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और ठेकेदार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

यदि ठेकेदार एक कंपनी है तो

हस्ताक्षर खंड

हस्ताक्षरित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुपुर्द
श्री. _____

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में

(1) _____

(2) _____

(साक्षी)

हस्ताक्षर खंड

हस्ताक्षरित और द्वारा सुपुर्द

यदि पार्टी एक पार्टनरशिप फर्म है
अथवा एक एकल फर्म
है तो सभी द्वारा अथवा सभी पार्टियों के
बदले हस्ताक्षर किया जाए।

की उपस्थिति में

(1) _____

(2) _____

(साक्षी)

आम मुहर _____ पर आयोजित बैठक
में निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार यहां
संलग्न किया गया था।

(1) _____

(2) _____

जिन निदेशकों ने इन टोकनों पर हस्ताक्षर किए हैं,
उनकी उपस्थिति में टोकन में हस्ताक्षर किए हैं

यदि ठेकेदार अपनी आम मुहर
के नीचे संकेत करता है, तो
हस्ताक्षर खंड एसोसिएशन
ऑफ आर्टिकल्स में सीलिंग
क्लॉज के साथ मिलना चाहिए।

संविदा श्रम नियमों/विनियमों के अनुपालन न करने पर नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु

प्रपत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर)

प्रति,

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

परिसर अनुभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

महोदय,

कार्य का नाम: कोच्ची स्थित आरबीआई कार्यालय भवन के पिछले हिस्से के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।

हम, मेसर्स (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के रोजगार और उनके भुगतान के संबंध में सभी वैधानिक नियमों / विनियमों का पालन करेंगे।

हम एतद्वारा नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को, ठेका श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतानों और इस संबंध में कानूनों के अनुपालन के लिए पूर्णतः क्षतिपूर्ति प्रदान करने और क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, साथ ही हमारे उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के हमारे अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

मेसर्स के लिए

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(ठेकेदार का नाम और पता हस्ताक्षर और सील के साथ)

स्थान:

तारीख:

पेटेंट अधिकारों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए पत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
परिसर अनुभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

महोदय,

कार्य का नाम: **कोच्ची स्थित आरबीआई कार्यालय भवन के पिछले हिस्से के गलियारे के नवीनीकरण से संबंधित विद्युत कार्य।**

हम, मेसर्स (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को, किसी भी पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के विरुद्ध पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति बनाए रखने का वचन देते हैं, और स्वयं किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करेंगे जो करार में शामिल किसी भी वस्तु या उसके भाग के संबंध में देय हो, या उस संबंध में कानूनी रूप से किए गए सभी प्रकार के नुकसान, लागत और शुल्कों का भुगतान करेंगे।

ऊपर बताए गए किसी भी मामले के संबंध में नियोक्ता के खिलाफ कोई दावा किए जाने या कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, हमें इसकी सूचना मिलने पर, हम अपने खर्च पर, किसी भी विवाद को सुलझाएंगे या उससे पैदा होने वाले किसी भी मुकदमे को चलाएंगे, लेकिन अगर पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा दिए गए आदेश का सीधा नतीजा है, तो हम नियोक्ता को हर्जाना देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

भवदीय,

मेसर्स के लिए

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(ठेकेदार का नाम और पता हस्ताक्षर और सील के साथ)

स्थान:

तारीख: